

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 303 / 2013

संस्थित दिनांक-13 / 12 / 2013

फाईलिंग नंबर-23030301320133

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- कल्लू उर्फ मदुसूदन शर्मा पुत्र श्री महेशप्रसाद शर्मा,  
उम्र 33 साल, स्थाई निवास ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा,  
हाल निवासी रणधीर कॉलौनी गोले का मंदिर, ग्वालियर
- 2- रामबरन शर्मा पुत्र श्री बालाराम शर्मा,  
उम्र 46 साल, निवासी अर्जुन कॉलौनी, गोहद
- 3- गिरीश शर्मा पुत्र श्री परशुराम शर्मा,  
उम्र 43 साल, स्थाई निवास ग्राम बिरखडी,  
हाल निवास-आर्य नगर, मुरार ग्वालियर
- 4- अनिल उर्फ भूरा पुत्र श्री परशुराम शर्मा (बिरथरिया)  
उम्र 34 साल, निवासी ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा  
जिला भिण्ड म.प्र. ....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।

आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन शर्मा द्वारा श्री आर.डी. गुप्ता अधि०।

आरोपी रामबरन द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता।

आरोपी गिरीश द्वारा श्री अबधबिहारी पाराशर अधिवक्ता।

आरोपी अनिल उर्फ भूरा द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

**-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 23 / 09 / 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, रामबरन, एवं गिरीश के विरुद्ध धारा 307 / 34, 302 / 34 भा0द0वि0 एवं धारा-25(1-बी)(ए) एवं धारा-27 आयुध अधिनियम एवं आरोपी अनिल

बिरथरिया के विरुद्ध धारा-307/34, 302/34 विकल्प में 302 भा0द0वि के तहत यह आरोप है कि उन्होंने 12/03/2013 के 14:45 बजे ग्राम बिरखडी स्कूल की पुलिया के आगे अंतर्गत थाना गोहद चौराहा में सहअभियुक्त के साथ मिलकर आहत शैलेन्द्र शर्मा को जान से मारने की नीयत से सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आग्नेयशस्त्र पिस्टल, कटटा से उसपर प्राणघातक फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती, तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते एवं मृतक अवधेश को जान से मारने की नीयत से आग्नेयशस्त्र से उसकी छाती में गोली मारकर उसकी शाशय हत्या कारित की तथा बिना वैध अनुज्ञप्ति के कटटा व कारतूस अपने आधिपत्य में रखकर उसका उपयोग अपराध कारित करने में किया ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण गिरीश एवं अनिल उर्फ भूरा आपस में सगे भाई हैं और कल्लू उर्फ मदुसूदन उनका भतीजा है तथा, रामबरन आरोपीगण गिरीश एवं अनिल का बहनोई होकर निकट संबंधी है तथा मृतक अवधेश एवं फरियादी शैलेन्द्र शर्मा तथा साक्षी विपिन, धर्मेन्द्र आपस में चचेरे भाई हैं । यह भी निर्विवादित है कि उभयपक्ष के मध्य आपस में पुरानी रंजिश संपत्ति एवं पार्टीबंदी को लेकर चली आ रही है और उनके बीच मुकदमेबाजी भी होती रही है ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि घटना दि0-12/03/2013 के 14:45 बजे स्कूल की पुलिया से आगे ग्राम बिरखडी में फरियादी विपिन शर्मा तथा उसका भाई अवधेश शर्मा तीनों ट्रैक्टर पर बैठकर गांव बिरखडी गये थे, गांव के सामने जब हम तीनों ट्रैक्टर से उतरकर घर को जा रहे थे, तभी स्कूल की पुलिया से आगे जब पहुंचने तो वहां पर गांव के अनिल बिरथरिया पिस्टल लिये, गिरीश बिरथरिया, कल्लू बिरथरिया तथा उसका बहनोई रामबरन तथा अन्य दो आमी जिनको फरियादी जानता नहीं है, सभी कटटा लिये रास्ते के दोनों तरफ एक राय होकर घात लाये बैठे थे, अनिल बिरथरिया ने फरियादी के भाई अवधेश को सामने से अपनी पिस्टल से फायर कर छाती में निशाना लगाकर गोली मारी। अवधेश के गोली छाती में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। कल्लू, गिरीश, रामबरन आदि ने भी फरियादीगण पर फायर किए, सब डर के कारण आसपास छिप गये थे, इसके बाद सब आरोपीगण रोड तरफ भाग गये, आरोपीगण से जमीन की रंजिश चल रही है, इसलिये इन्होंने फरियादी के भाई अवधेश की हत्या कर हमारे साथ घटना कारित की है।

4. उक्त आशय की मार्ग सूचना फरियादी शैलेन्द्र शर्मा द्वारा थाना पर उपस्थित होकर लेख करायी, जो थाने के मार्ग क्रमांक-08/2013 धारा-174 सी.आर.पी.सी. के तहत लेखबद्ध किया

गया, एवं तत्पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-07 अप.क्र.-56/13 अंतर्गत धारा-302, 307, 147, 148, 149 भा.द.वि. पर कायम किया गया एवं मृतक का पी0एम0 परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र जे.एम.एफ.सी. गोहद न्यायालय में पेश किया गया।

5. जे0एम0एफ0सी0, गोहद द्वारा प्रकरण में धारा-302, 307 भा0द0वि0 का अपराध होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्रथम अपर सत्र न्यायालय, गोहद को प्राप्त हुआ एवं माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के आदेश क्र0-46/सा0लि0/2014 दिनांक-09/04/2014 के पालन में उक्त प्रकरण इस न्यायालय को निराकरण हेतु विधिवत प्राप्त हुआ।

6. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, रामबरन, एवं गिरीश के विरुद्ध धारा 307/34, 302/34 भा0द0वि0 एवं धारा-25(1-बी)(ए) एवं धारा-27 आयुध अधिनियम एवं आरोपी अनिल बिरथरिया के विरुद्ध धारा-307/34, 302/34 विकल्प में 302 भा0द0वि के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्तगण परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना बताया है। तथा उनकी ओर से बचाव साक्ष्य पेश की गयी है।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 01- क्या, दिनांक-12/03/2013 को दोपहर करीब 2:45 बजे ग्राम बिरखडी में स्कूल की पुलिया के पास आरोपीगण के द्वारा अवधेश की हत्या व शैलेन्द्र पर प्राणघातक हमला करने के लिए आपस में मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया?
- 02- क्या, आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना में फरियादी शैलेन्द्र पर आग्नेयशस्त्र पिस्टल/कटटा से प्राणघातक फायर इस ज्ञान और विश्वास के साथ किया कि यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध के दोषी होते?
- 03- क्या, मृतक अवधेश की उक्त घटना दि0 को हुई मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की है?
- 04- क्या, आरोपीगण ने निर्मित किए गये उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अवधेश को गोली मारकर शाशय हत्या कारित की?

विकल्प में

क्या, आरोपी अनिल के द्वारा अवधेश को पिस्टल से गोली मारकर शाशय हत्या कारित की?

- 05— क्या, आरोपीगण उक्त सुसंगत घटना के समय आग्नेयशस्त्रों से सुसज्जित थे ?
- 06— क्या, आरोपीगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन उक्त सुसंगत घटना के समय अपने आधिपत्य व संज्ञान में अवैध आग्नेय शस्त्र वगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये ?
- 07— क्या, आरोपीगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन के द्वारा उक्त सुसंगत घटना में अवैध आग्नेय शस्त्रों का उपयोग किया गया ?

#### —::—निष्कर्ष के आधार :-

8. प्रकरण में प्रदर्श पी0-12 के रूप में मृतक अवधेश की एक्सरे रिपोर्ट एवं एफ आई आर डबल अंकित हो गयी है इसलिये एफ आई आर को प्रदर्श पी.-12 एवं एक्सरे रिपोर्ट को प्र.पी.-12 ए के रूप में विश्लेषण में लिया जा रहा है।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 01 व 02 का निराकरण**

9. उक्त दोनों विचारणीय विदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
10. इस संबंध में अभियोजन के कथानक में प्रदर्श पी.-2 की मर्ग सूचना जो मृतक अवधेश के संबंध में उसके भाई एवं प्रकरण के फरियादी शैलेन्द्र शर्मा द्वारा थाना गोहद चौराहा जाकर मौखिक रूप से लेखबद्ध करायी थी उसमें जो मूल घटना बतायी गयी है, उसमें यह वृत्तान्त दिया गया है कि दि0-12/03/2013 के दिन के करीब 1:45 बजे जब शैलेन्द्र मृतक अवधेश और विपिन ट्रैक्टर से उतरकर अपने घर जा रहे थे तभी ग्राम बिरखडी में स्कूल की पुलिया के आगे पहुंचने पर आरोपीगण घात लगाये सड़क के दोनों तरफ कटटे (देशी आग्नेयशस्त्र) लिये हुए पुरानी रंजिश पर से एक राय होकर बैठे थे, जिनमें से अनिल बिरथरिया ने अवधेश को छाती में निशाना लगाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी। कल्लू, गिरीश, रामबरन ने शैलेन्द्र एवं विपिन पर फायर किए थे, वे डर के मारे आसपास छिप गये, फिर सभी भाग गये। इस तरह से



शैलेन्द्र और विपिन हत्या के प्रयास के अपराध के पीडित बताये गये हैं। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य संकलन उपरांत अभियोगपत्र पेश किया गया है, उसमें शैलेन्द्र और विपिन की कोई चिकित्सकीय साक्ष्य नहीं है, इसलिये उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का मौखिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन करना होगा। क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लेते हुए कल्लू उर्फ मदुसूदन एवं गिरीश का घटना के काफी समय पूर्व से ग्वालियर में अपने परिवारों के साथ स्थाई रूप से निवासरत होना बताया है।

11. इस बिन्दु पर सर्वाधिक महत्व का साक्षी शैलेन्द्र शर्मा अ.सा.-7 है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-01 में घटना दि0-12/3/2013 के दिन के करीब पौने तीन बजे की बताते हुए कहा है कि वह और विपिन व अवधेश गोहद चौराहा से ट्रैक्टर से ग्राम बिरखडी जा रहे थे, बिरखडी डाक बंगले पर ट्रैक्टर से उतरकर जब वे पैदल घर की ओर जा रहे थे, तब उनपर जानलेवा हमला किया गया था, हमले में अनिल ने अवधेश को गोली सामने से छाती में मारी थी, सभी आरोपीगण कटटे लिये थे, अनिल पर पिस्टल थी। अनिल के अलावा शेष आरोपीगण ने उनपर कट्टों से फायर करके हमला किया था जिससे वह इधर-उधर छिप गये थे। घटना के बारे में उसने प्र.पी.-12 की रिपोर्ट थाने पर जाकर की थी, पुलिस ने मौके पर आकर प्र.पी.-15 का नक्शामौका उसके बताने पर तैयार किया था।

12. अ.सा.-07 ने पैरा-05 में घटनास्थल के बारे में यह बताया है कि घटनास्थल के पूर्व में प्रदीप का खेत, पश्चिम में सुदामा का मकान, उत्तर और दक्षिण में रोड व आम रास्ता है, दक्षिण वाला आम रास्ता गांव की ओर जाता है, उस आम रास्ते के दोनों तरफ दक्षिणी बबूल के पेड़ व खाईयां हैं। उसका यह भी कहना है कि मौके पर किस आरोपी ने कितने फायर किए यह उसने नहीं देखा था लेकिन करीब 7-8 फायर हुए थे। जहां से अनिल ने अवधेश को गोली मारी थी उससे तीन चार कदम की दूरी पर शेष आरोपीगण खड़े थे। पैरा-06 में उसने बिरखडी के रास्ते की ओर जाने पर जिन लोगों के मकान व खेत और स्कूल आदि है उसकी स्थिति स्पष्ट की है और यह बताया है कि घटनास्थल के पास वीरेन्द्र का गौडा है। पैरा-08 में उसका कहना है कि जब अवधेश पर हमला हुआ था, तब वह पांच-छः कदम दूर था और अवधेश पर हमला चारों तरफ से होकर किया गया था। वह और अवधेश दोनों घेराव में थे, कुछ लोग पीछे थे। जिन्होंने उनपर फायर किए थे उनको वह पहचान नहीं पाया था। तथा यह भी कहा है कि उसपर फायर गिरीश ने किया था। उसे कोई भी फायर नहीं लगा था। दक्षिणी बबूल की झाडियां घनी नहीं थीं। उनसे गोली आर-पार हो सकती थी। वह फायर होने पर 150-200 गज घटनास्थल से पश्चिम दिशा की ओर प्रदीप के खेत

से होते हुए भागा था, जहां मातादीन के मकान का चबूतरा है और चबूतरे की ओट में 2-3 मिनट बैठ गया था। हमलावर 20 कदम उसके पीछे भागे थे। उस समय उनपर और कोई वाहन नहीं था। जगदीश मातादीन आदि को उसने पुकारा था लेकिन कोई नहीं आया था।

13. अ.सा.-7 का पैरा-11 में यह भी कहना है कि उसपर निशाना साधकर गोली मारी गयी थी, गोली उसके कंधे के ऊपर कमर के पास से निकली थी, गोली भीड़ में से चल रही थी, कौन चला रहा था यह वह नहीं देख पाया था। पैरा-15 में उसका कहना है कि “जैसे ही वह आये थे, सोई आरोपीगण निकलकर आये थे, तब उन्हें देखा था, पहले से छिपे हुए नहीं देखा था, गिरीश को उसने हमला करते देखा था, गिरीश ने उसपर और विपिन पर हमला करते हुए फायर किए थे सभी ने एक साथ फायर किए थे”। सड़क के किस तरफ गिरीश था, यह उसने न देख पाना पैरा-16 में बताया है। पैरा-19 में उसका यह कहना है कि वे गांव में ट्रैक्टर सुधरवाने के लिए जाने की बात किसीको बताकर नहीं गये थे। आरोपियों के झाडियों में छिपे होने की बात एवं हमला होने पर देखने की बात उसने पुलिस को प्रदर्श डी.-1 का बयान देते समय बताना कही है।
14. अ.सा.-7 ने पैरा-23 में यह भी कहा है कि घटना के समय अवधेश उससे 2-3 कदम आगे चल रहा था, वह और विपिन पीछे साथ साथ चल रहे थे और चबूतरे की आढ में वह और विपिन छिप गये थे, वहां से आरोपीगण को भागते हुए देखा था। आरोपीगण के रास्ते के दोनों तरफ भागने व छिपे होने की बात प्र.पी.-12 की एफ आई आर और प्र.डी.-1 के कथन में पुलिस को बताना वह कहता है।
15. इस संबंध में विपिन अ.सा.-09 ने अपनी अभिसाक्ष्य पैरा-1 में यह बताया है कि घटना के समय वह और उसका छोटा भाई अवधेश तथा शैलेन्द्र व धर्मेन्द्र तथा ट्रैक्टर चालकर बनवारीलाल एक साथ ट्रैक्टर से आये थे और डाक बंगले पर वह, विपिन, शैलेन्द्र व अवधेश उतर गये थे और गांव बिरखडी की तरफ पैदल चलने लगे थे। पुलिस के 10-12 कदम आगे निकलने पर आरोपीगण ने घटना की थी, अवधेश को अनिल ने पिस्टल से गोली मारी थी। अन्य लोगों ने उसपर व शैलेन्द्र पर जानलेवा हमला किया था, तो वह प्रदीप के खेत की तरफ भागकर चबूतरे के पीछे छिप गये थे, वहां से उसने आरोपीगण को भागते देखा था। उक्त साक्षी ने पैरा-10 में कहा है कि चबूतरा के पीछे छिपने वाली बात उसने पुलिस को नक्शामौका बनाते समय नहीं बतायी थी, न्यायालय में ही पूछने पर बता रहा है, पैरा-09 में उसने घटनास्थल के बारे में यह बताया है कि पुलिस को झाडियों में आरोपीगण के छिपे होने वाली बात बता दी थी, पुलिस ने ना दर्शायी हों तो वह नहीं बता सकता और प्र.डी.-2 के बयान में भी

बता दिया था। इस साक्षी ने मौके पर घटना के समय 7-8 फायर होने की बात पैरा-10 में बतायी है। पैरा-08 में यह कहा है कि मौके पर नक्शा बनाते समय पुलिस को कितने खोखे मिले और किसने उठाये यह उसे ज्ञात नहीं है। यदि मौके से दो खोखे पुलिस ने मिलना बताया हो तो उसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है।

16. अ.सा.-09 ने पैरा-16 में यह भी कहा है कि जब अवधेश को गोली लगी और वह गिर गया था और उनपर फायर हुए थे तो वह डर के कारण पश्चिम दिशा की तरफ भागा था, उसी तरफ शैलेन्द्र भी भागा था। यह बात भी उसने पुलिस को प्र.डी.-2 के बयान में बतायी थी। पैरा-19 में उसका कहना है कि अवधेश को गोली लगने के पहले गिरीश को वह नहीं देख पाया था जब आरोपीगण ने उनपर गोलियां चलायी, तब देखा था और उसे किसीकी गोली नहीं लगी थी, दो अज्ञात आरोपियों ने कितनी गोली चलायी, यह भी उसे पता नहीं है, गिरीश ने कितनी गोली चलायी, यह भी वह नहीं देख पाया था। मौके पर बतायी गयी झाड़ियों के संबंध में पैरा-21 में उसका कहना है कि झाड़ियां 8-10-15 फीट ऊंचाई तक की थीं। उसपर ओर शैलेन्द्र पर 7-8 फायर आरोपीगण ने भागते हुए किए थे। पैरा-22 में उसने भी यह बताया है कि जब अवधेश में गोली लगी थी तब वह एक दो कदम की दूरी पर ही था।

17. अ.सा.-9 ने पैरा-27 में अपनी स्थिति के बारे में बताया है कि अनिल और अवधेश के बीच में दो हाथ की दूरी थी, और पहली गोली एक फीट की गोली से चली थी, अवधेश उससे एक दो कदम आगे थे, वह और शैलेन्द्र बराबर थे। आरोपी अनिल उसे चार पांच कदम की दूरी पर था तथा गिरीश अनिल से दो कदम पीछे था। अन्य दो अज्ञात तीन चार कदम की दूरी पर थे, जो उनसे करीब 10-12 कदम दूर होंगे। सभी आरोपीगण ने उसे व शैलेन्द्र को निशाना बनाते हुए गोलियां चलायी थीं और सात आठ फायर हुए थे जिनमें से उसे व शैलेन्द्र को कोई फायर नहीं लगा। पैरा-28 में उसका कहना है कि सीधे फायर हुए थे इसलिये दूसरी गोली किसने चलायी यह वह नहीं देख पाया था। पैरा-31 में उसका यह भी कहना है कि आरोपीगण 10-15 कदम तक उनके पीछे भागे थे उसके बाद अपने आप ही रोड तरफ भागे थे। आरोपीगण ने उनका और अधिक पीछा करके गोली चलाने का प्रयास नहीं किया था।

18. इस बिन्दु पर रविंद्र शर्मा अ.सा.-10 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, और इस बिन्दु पर वह पक्ष विरोधी रहा है प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण को उसने कट्टों व पिस्टल से फायर करते देखा था। प्रदर्श पी.-17 का पुलिस को कथन देने से इंकार करते हुए स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने से इंकार किया है, तथा धर्मेन्द्र

शर्मा अ.सा.-12 का भी इस बिन्दु पर अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दि० -12/3/13 को दिन के करीब पौने तीन, तीन बजे वह अवधेश, विपिन व शैलेन्द्र के साथ गोहद चौराहा से ट्रैक्टर से अपने गांव बिरखडी आया था। ट्रैक्टर को बनवारीलाल चला रहा था, बिरखडी डाक बंगले पर अवधेश, विपिन, शैलेन्द्र ट्रैक्टर से उतर गये थे, फिर वह ट्रैक्टर लेकर अपने घर आ गया था। घर पहुंचने पर उसे विपिन व शैलेन्द्र ने फोन किया था और बताया था कि अनिल ने अवधेश को गोली मार दी है उसके 10 मिनट बाद वह मौके पर पहुंचा था, उसके थोड़ी देर बाद पुलिस आ गयी थी। इस तरह से उक्त साक्षी भी मूल घटना के बारे में चक्षुदर्शी साक्षी होने का समर्थन नहीं कर रहा है उसने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने विपिन, शैलेन्द्र और उनपर जान से मारने की नीयत से फायर किए थे। और ऐसी बात पुलिस को भी प्र.पी.-21 में बताने से इंकार किया है।

19. प्र.पी.-02 की मार्ग सूचना प्र.आर. गोपसिंह अ.सा.-02 ने शैलेन्द्र के द्वारा थाना आकर लिखाये जाने पर लेखबद्ध करना बतायी है और प्र.पी.-12 की एफ आई आर, ए0एस0आई0 सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 ने फरियादी शैलेन्द्र की मौखिक रिपोर्ट पर से लेखबद्ध करना बताया है। घटनास्थल के बारे में भी विवेचक का यह कहना है कि उसने मौके पर जाकर साक्षी विपेन्द्र उर्फ विपिन की निशादेही पर प्र.पी.-15 का नक्शामौका तैयार किया था और घटनास्थल से 32 बोर का एक खोखा तथा 315 बोर का एक खोखा, खून आलूदा व सादा मिट्टी, सहित जब्त करके प्र.पी.-20 का जब्ती पत्रक बनाया था। प्र.पी.-20 के जब्ती पत्रक के पंच साक्षी विपिन उर्फ विपेन्द्र अ.सा.-09 एवं धर्मेन्द्र अ.सा.-12 हैं, धर्मेन्द्र अ.सा.-12 ने जब्ती का समर्थन किया है और विपिन अ.सा.-09 ने पैरा-08 मुताबिक जानकारी का अभाव बताया है।

20. इस बिन्दु पर अन्य साक्षियों की साक्ष्य नहीं है। विद्वान ए.जी. पी. का यह तर्क है कि फरियादी शैलेन्द्र एवं साक्षी विपिन घटना के महत्वपूर्ण साक्षी हैं और स्वयं पीडित हैं, उनके अभिसाक्ष्य इस बिन्दु पर विश्वसनीय हैं और आग्नेयशस्त्र से आशयपूर्वक फायर किया जाना प्राणघातक हमने का द्योतक होता है। इसलिये धारा-307/34 भा0द0वि का आरोप प्रमाणित माना जाये। जबकि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने मौखिक तर्कों ने एवं आरोपी कल्लू उर्फ महुसूदन की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों में मूलतः पुरानी रंजिश के आधार पर झूठा फंसाये जाने का आधार लेते हुए साक्षी शैलेन्द्र एवं विपिन के द्वारा असत्य व अस्वाभाविक अभिसाक्ष्य दिये जाने का तर्क किया है कि घटना कारित करने वाले 06 व्यक्ति बताये गये हैं जिनमें से दो अज्ञात रहे हैं, चार आरोपी अभियोजित हैं, सभी पर आग्नेयशस्त्र बताये गये, नजदीक से हमला बताया गया, उसके बाबजूद शैलेन्द्र,



विपिन एवं धर्मेन्द्र में से किसीको खरोंच तक नहीं आयी हैं तथा स्वयं धर्मेन्द्र ने समर्थन नहीं किया है। रविन्द्र भी चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया, उसने भी समर्थन नहीं किया है और शैलेन्द्र व विपिन 7-8 फायर बताते हैं किन्तु केवल दो खोखे ही बरामद हुए हैं, ऐसे में उनकी कहानी कतई विश्वसनीय नहीं है और रंजिशी साक्षी होने से उनपर लेस मात्र भी विश्वास ना किया जाये, आरोपीगण निर्दोश हैं और उन्हें दोषमुक्त किया जावे।

21. इस बिन्दु पर जो अभियोजन द्वारा साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें कोई चिकित्सीय साक्ष्य हत्या के प्रयत्न के संबंध में नहीं है क्योंकि आग्नेयशस्त्रों से फायरिंग बतायी गयी है और फरियादी शैलेन्द्र साक्षी, विपेन्द्र उर्फ विपिन एवं धर्मेन्द्र पर आरोपीगण के द्वारा फायरिंग करना बताया गया है, प्र.पी.-2 की मार्ग सूचना सबसे पहले लेखबद्ध करायी, उसमें यह तो उल्लेख किया गया है कि कल्लू, गिरीश और रामबरन आदि के द्वारा उनपर अर्थात् मृतक अवधेश को छोड़कर शेष साक्षी शैलेन्द्र, धर्मेन्द्र, विपिन, रविन्द्र पर कट्टों से फायरिंग की जाना बताया गयी, जिसमें से रविन्द्र और धर्मेन्द्र घटना के समय अपनी उपस्थिति से ही इंकार कर रहे हैं। ऐसे में शैलेन्द्र और विपिन की साक्ष्य अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकित किए जाने योग्य हो जाती है। क्योंकि उभयपक्ष के मध्य रंजिश का बिन्दु विद्यमान है।

22. शैलेन्द्र अ.सा.-7 और विपिन अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य लगभग एक जैसे आये हैं, दोनों ही आरोपीगण और अपनी मौके पर काफी निकट उपस्थिति दर्शा रहे हैं। तथा आरोपीगण जोकि संख्या में चार हैं, दो अज्ञात भी बताये गये हैं, 07-08 फायर होना उन्होंने बताये हैं, जिनमें से कोई भी फायर उक्त दोनों या धर्मेन्द्र, रविन्द्र में से किसीको भी नहीं लगा, जोकि घटनास्थल पर आरोपीगण व फरियादीगण की निकट की विद्यमानता को देखते हुए कतई स्वाभाविक नहीं लगता है। परिस्थितियों को देखा जाये तो घटनास्थल पर 07-08 फायर होने के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। प्र.पी.-20 के जब्ती पत्रक मुताबिक मौके से दो कारतूसों के खोखे ही बरामद हुए जिनमें से एक 32 बोर का और एक 315 बोर का बताया गया है। कथानक मुताबिक एक गोली मृतक अवधेश को लगना बतायी गयी है, दूसरी गोली किसने चलायी थी इसके बारे में स्वयं शैलेन्द्र अ.सा.-07 एवं विपिन अ.सा.-09 को जानकारी नहीं है, वे तो सभी का एक साथ फायर करना बता रहे हैं। जो परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है।

23. धारा-307 भा0द0वि के अपराध के प्रमाण हेतु अभियोजन की ऐसी विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण के द्वारा आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कोई कार्य किया गया हो जिससे यदि उस कार्य के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो हत्या के प्रयत्न का दोषी होना माना

जा सकता है। आग्नेय शस्त्रों से फायरिंग किए जाने का प्रयत्न इस प्रकृति का अवश्य होता है कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अर्थात् फायर करने वाले के बारे में यह माना जा सकता है कि उसका कार्य इस प्रकृति का है कि उसे यह ज्ञान है, कि उसके कार्य से जान जोखिम में पड़ सकती है या आशयपूर्वक ऐसा कार्य किया जाये तब भी अपराध आकर्षित होगा। या ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हों, जो स्वमेव प्राणघातक होने की पुष्टि करती हों। किन्तु विचाराधीन मामले में शैलेन्द्र और विपिन तथा रविन्द्र, धर्मन्द्र पर आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा आशयपूर्वक या ज्ञान से आग्नेयशस्त्रों से फायरिंग की जाना उक्त परिस्थितियों से स्थापित नहीं होता है। इसलिये इस बिन्दु पर शैलेन्द्र अ.सा.—7 व विपिन अ. सा.—09 की अभिसाक्ष्य विश्वास योग्य नहीं हैं और रंजिश के बिन्दु को देखते हुए इसे घटना का विकास करते हुए बढा-चढाकर बतायी जाना ही दर्शित हो रहा है। इसलिये प्रकरण में धारा—307/34 भा0द0वि के अपराध के प्रमाण हेतु आवश्यक अवयवों बाबत अभियोजन की विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपीगण को धारा—307/34 भा0द0वि के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक—3 का निराकरण

24. हत्या के अपराध के लिए भा0द0वि की धारा—300 के घटनों का स्थापित होना आवश्यक है कि—

धारा—300 भा0द0वि के अनुसार **हत्या**—एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा **दूसरा**— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

**तीसरा**— यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिससे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

**चौथा**— यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

**अपवाद—1** आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अनय व्यक्ति

की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्वधीन है—

**पहला—** यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

**दूसरा—** यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो विधि के पालन में, या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्वक प्रयोग में की गई हो।

**तीसरा—** यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

**स्पष्टीकरण—** प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

**अपवाद-2—** आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

**अपवाद-3—** आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये, और कोई ऐसा कार्य करके, जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना कारित करे।

**अपवाद-4—** आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

**स्पष्टीकरण—** ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

**अपवाद-5—** आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जावे, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाये।

25. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दाण्डिक मामले में प्रमाण भार हमेशा अभियोजन पर ही होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करे। बचाव पक्ष की किसी कमजोरी का लाभ अभियोजन नहीं उठा सकता है। जैसा कि माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत प्रहलाद विरुद्ध म0प्र0 राज्य आई0एल0आर0(2011) एम0पी0 पेज 489 में प्रतिपादित किया गया है तथा न्याय दृष्टांत विजय सिंह विरुद्ध स्टेट आफ यू.पी. ए.आई.आर. 1980 पेज-1459 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यह मानकर चला जाता है कि आरोपी निर्दोष है, जबतक कि वह दोषसिद्ध न हो जाये और न्याय दृष्टांत भागीरथ विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.ए.आई.आर. 1976 एस.सी. पेज-973 में यह मार्गदर्शित है कि अभियोजन जो कहानी लेकर चलता है, वह उसे ही साबित करनी चाहिये । इसलिये इस प्रकरण में जो कथानक बताया गया है उसे युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर ही रहेगा ।

26. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा न्याय दृ० बसंत कुमार एवं अन्य वि. स्टेट ऑफ एम.पी. 2008 भाग-01 एम.पी. जे.आर. पेज-78 में भी यही मार्गदर्शित किया गया है कि हत्या के अपराध के लिए धारा-300 भा०द०वि के घटकों का स्थापित होना साक्षी विचाराधीन मामले में मृतक अवधेश शर्मा की कथानक मुताबिक मृत्यु गोली लगने के फलस्वरूप घटनास्थल से ही हो जाना बतायी गयी है, जोकि भा०द०वि की धारा-300 के खण्ड-01 के अंतर्गत आती है और अपवादों के अंतर्गत होना परिलक्षित नहीं होती है ।

27. इस संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश की गयी है उसमें सर्वप्रथम चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित होगा। प्रदर्श पी.-02 की मर्ग सूचना घटना के फरियादी शैलेन्द्र शर्मा जोकि मृतक का चचेरा भाई है, उसके द्वारा मृतक अवधेश को आरोपी अनिल बिरथरिया के द्वारा सामने से पिस्टल से छाती में निशाना लगाकर गोली मारना बताया, जिससे कि उसकी मौके पर मृत्यु हो गयी। जैसा कि शैलेन्द्र अ.सा.-07 अपने अभिसाक्ष्य में भी बताता है । जिसके समक्ष पुलिस द्वारा प्रदर्श पी.-13 का सफीना फॉर्म और प्र.पी.-14 का लाश पंचायतनामा भी तैयार करना बताया गया है । प्र.पी.-13 एवं प्र.पी.-14 के सफीना फॉर्म व लाश पंचायतनामा के संबंध में अन्य साक्षी विपिन अ.सा.-09, रविन्द्र अ.सा.-12 के द्वारा भी समर्थन किया है । प्रदर्श पी.-13 व 14 की कार्यवाही ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 ने करना बतायी है और प्रदर्श पी.-14 के लाश पंचायतनामा में भी पंचान के द्वारा मृत्यु गोली लगने की राय व्यक्त की है। प्रदर्श पी.-13 और 14 की कार्यवाही के संबंध में उपरोक्त साक्षियों में से शैलेन्द्र शर्मा अ.सा.-7 और विपिन अ.सा.-09 एवं विवेचक ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 के अभिसाक्ष्य में इस संबंध में विरोधाभास अवश्य प्रकट कराया गया है। मृतक की लाश को फरियादी शैलेन्द्र और विपिन मौके से लेकर थाने पर गये या पुलिस ने मौके पर आकर लाश पड़ी होने से प्र.पी.-13 और 14 की कार्यवाही करते हुए उसका शव परीक्षण



कराया। किन्तु इस संबंध में उत्पन्न विरोधाभास इसलिये महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अवधेश की मृत्यु गोली लगने से होने के बारे में उक्त साक्षियों में मत भिन्नता नहीं है और प्र.पी.—13 और 14 के संबंध में रविन्द्र अ.सा.—10 और धर्मेन्द्र अ.सा.—12 का भी समर्थन है। हालांकि वे अन्य बिन्दुओं पर अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी अवश्य दूषित किए गये हैं। पक्ष विरोधी साक्षियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टि मुन्ना विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी.—2010 भाग—दो एम.पी.डब्ल्यू.एन. शॉर्ट नोट—121 में यह प्रतिपादित किया गया है कि पक्ष विरोधी साक्षियों में यदि कुछ समर्थन हो, तो उनकी साक्ष्य पूर्णतः रद्द नहीं मानी जा सकती है, जो हस्तगत मामले में लागू किए जाने योग्य है। क्योंकि प्र.पी.—13 और 14 के संबंध में समर्थन है और अ.सा.—7 और अ.सा.—09, अ.सा.—10 एवं अ.सा.—12 आपस में तथा मृतक के निकट संबंधी अवश्य हैं।

28. मृतक की लाश का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक डाक्टर आलोक शर्मा अ.सा.—06 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना दि०—12/03/2012 को ही सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतक अवधेश पुत्र अशोक शर्मा का शव परीक्षण दिन के 05:15 बजे प्रारंभ करना बताते हुए उसे बाह्य परीक्षण में सामान्य कद काठी का बताया है, जिसके शरीर पर पूरी बांह की शर्ट, बनियान, पैंट व जूते थे। शरीर में अकड़न थी और सीने में दाहिनी ओर निप्पल से डेढ़ से.मी. से नीचे बीच के भाग में 1.8 से.मी. की दूरी पर फटा घव मौजूद था, जिसके किनारे झुलसे हुए थे। घाव का आकार 1.3 x 1.0 से.मी. का था, जो प्रवेश घाव था तथा दूसरी चोट के रूप में पीठ में दाहिने बखा के नीचे 0.8 x 0.7 से.मी. का फटा घाव बताया है, जिसके किनारे बाहर की ओर मुड़े हुए थे। जिसे निकासी घाव बताया है।

29. उक्त साक्षी ने आंतरिक परीक्षण में मृतक का दाया फेफड़ा फटा बताया है, शेष अंग कंठ, श्वासनली, मुंह, ग्रासनली, फुफुस, यकृत, प्लीहा, गुर्दा आदि कंजस्टेड बताये हैं। बांये फेफड़े में पीलापन बताते हुए हृदय के दाहिनी चेंबर में रक्त भरा होना पाया। चेम्बर खाली होना, पेट में अधपचे खाना के कण पाना कहा है। छोटी आंत खाली और बड़ी आंत में मल पाया था। मृतक जो शर्ट, बनियान पहले हुए था, उसमें भी धून के धब्बे लगे थे, उसने शव परीक्षण के दौरान मृतक के शर्ट, बनियान को सीलबंद करके शव लाने वाले आरक्षक गुलाबसिंह के सुपुर्द किया था और शव परीक्षण पश्चात प्र.पी.—11 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बतायी है।

30. डाक्टर आलोक शर्मा अ.सा.—06 ने प्र.पी.—11 की शव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह मत दिया है कि मृतक अवधेश की मृत्यु आग्नेयशस्त्र के द्वारा फेफड़े में आयी चोट से अत्यधिक रक्तस्राव के

कारण शॉक से हुई थी, जो परीक्षण से 06 घण्टे के भीतर की थी और मृतक पर गोली बंदूक से चलायी गयी थी। मृतक का एक्सरा परीक्षण भी करना बताते हुए यह कहा है कि कोई बाहरी तत्व या गोली नहीं मिली, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.-12 बतायी है।

31. उक्त चिकित्सक द्वारा पैरा-06 में यह कहा गया है कि शव परीक्षण के लिए जो आवेदनपत्र दिया गया था, उसमें शरीर के किस अंग पर गोली लगी है, इसका उल्लेख नहीं था और गोली शरीर के अंदर है या आरपार निकल गयी, इसका भी उल्लेख नहीं किया है। मृत शरीर में अकड़न मौसम के हिसाब से बदलती है। सर्वप्रथम आंखों से प्रारंभ होते हुए उसके बाद चेहरे और फिर पूरे शरीर में आती है और मार्च के महीने में सामान्य परिस्थितियों में अकड़न 06 से 08 घण्टे में पूरे शरीर में आ जाती है। घटना भी मार्च की ही है। पैरा-08 में यह भी कहा है कि उसने गोली के प्रवेश घाव और निकासी घाव के ट्रेक का उल्लेख करते हुए समानांतर सीधा बताया है। ऊपर नीचे नहीं था और मृत्यु की प्रकृति इसलिये नहीं दी लिखी थी क्योंकि शव परीक्षण करने पर वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि मृत्यु हत्यात्मक थी या आत्महत्यात्मक थी। यह भी स्वीकार किया है कि किसी व्यक्ति को गोली लगने पर गोली के साथ पहने कपड़े के अपशेष भी घाव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उसे घाव के प्रवेश घाव पर किसी प्रकार के कपड़े के अंश नहीं मिले थे, जिसका यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि कपड़े निकास घाव से गोली के साथ बाहर भी जा सकते हैं। कपड़े के रेशे हर परिस्थिति में घाव के अंदर मिलना आवश्यक नहीं है। यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष आग्नेयशस्त्र मृतक के घाव से तुलनात्मक अध्ययन के लिए पुलिस द्वारा नहीं भेजे गये थे। पैरा-10 में उसने यह भी कहा है कि घाव के आसपास के टुकड़े या त्वचा उसने एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु सीलड नहीं किए थे। प्रवेश घाव से निकाल घाव 90 डिग्री के ऐंगल पर हो सकता है ऐसा पैरा-08 में बताया गया है। किसी बीमारी के कारण मृत्यु से इंकार करते हुए यह कहा है कि दांये फेंफड़े में फटा हुआ घाव था, जिसका तात्पर्य यह है कि गोली शरीर के दांये फेंफड़े को भेदती हुए निकली थी। मृत्यु का प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर निकाले जाने की बात भी उक्त चिकित्सक ने अपने अभिसाक्ष्य पैरा-10 में बताते हुए यह भी कहा है कि जिस प्रकार की चोटों से मृतक की मृत्यु कारित हुई, वह स्वयं के द्वारा भी गोली चलाने से संभव है। उसने छाती का घाव निप्पल से नापा था और पीठ का घाव स्केपुला के बीच से नापा था, जो नीचे था।

32. इस संबंध में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक जैसे तर्क करते हुए चिकित्सीय साक्ष्य के संबंध में यह तर्क किया है कि शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.-11 मुताबिक चिकित्सक द्वारा जो

प्रवेश घव बताया गया है, वह निकास घाव से पहले है, जबकि गोली लगने से मृत्यु की दशा में प्रवेश घाव, निकास घाव से छोटा होता है और अभियोजन कहानी मुताबिक सामने से छाती में गोली मारना बताया गया है, जो पीछे पीठ से निकली, जैसा कि साक्षी शैलेन्द्र शर्मा अ.सा.-7 और विपिन अ.सा.-9 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताया गया है, जोकि चिकित्सीय साक्ष्य के प्रतिकूल है तथा मृतक के खून लगे कपड़ों के संबंध में कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियोजन द्वारा पेश नहीं की गयी है, इसलिये चिकित्सीय साक्ष्य से ही अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से श्री राजाराम यादव द्वारा लिखित चिकित्सीय न्याय शास्त्र एवं विष विज्ञान के पृष्ठ क्र०-611 एवं 612 पर प्रकाश डाला है, जिसमें राइफल आग्नेयशस्त्र से हुई क्षतियों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि—“जब गोली चमड़ी पर टकराती है तो चमड़ी की दृढ़ता तथा लचीलेपन के कारण पहले एक गड्ढा सा बनता है तथा ठीक नीचे की ओर वह तन जाती है। इस संपर्क बिन्दु पर घूर्णन तथा अग्रगति क्षणिक मंद हो जाती है, अंततः वह चमड़ी भेदकर देह में प्रविष्ट करती है। इस क्रिया में, गोली के छेद के चारों ओर की चमड़ी की छोटी सी पट्टी, गोली के बाजुओं के संपर्क में आती है जिससे धुँए तथा कीट का एक भूरा सा छल्ला बन जाता है। गोली घुसने के पश्चात् चमड़ी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इस कारण गोली के ब्यास से प्रवेश घाव छोटा दिखाई देता है, जबकि गोली तिरछी घुसती है तब वह भूरा क्षेत्र एक ओर कुछ चौड़ा दूसरी ओर सँकरा होता है। इस बिन्दु पर, ऊतक हानि मामूली होती है, इस कारण प्रवेध घाव से सामान्यतया रक्तस्राव कम होता है। इस प्रकार प्रवेश घाव—

(अ) — बहुधा छोटा—गोली की तुलना में/निर्गम घाव की तुलना में (चमड़ी लचीली होने के कारण)

अधिक स्पष्ट तथा धंसा हुआ, नियमित आकार का, उपचर्म—विहानी वलय युक्त (abrasion Collar) (gyrating या spinning गति के कारण)।

(ब)— घाव के किनारे—अंदर की तरफ मुड़े हुए, नीलयुक्त तथा पिछड़े (inverted, bruised & lacerated)

(स)— अन्य विशिष्टताएँ—ज्वाला (Flame), गैस (Gas), तथा कालिखे (Soot) के कारण।

(1) घाव के चारों ओर चमड़ी का जलना (Scorching), कालापन (Blackening), गोदना तथा बालों का झुलसना (जो मुख्यतः शरीर से अस्त्र चालन की दूरी के अनुसार विस्तृत होता है) देह पर समकोण पर टकराने से गोल छेद, तिरछे में अंडकार)।

(2) घाव के अंदर धंसी हुई—बेडिंग ; कपड़े के टुकड़े तथा अन्य मलवा।

प्रवेश घाव की उपस्थिति तथा पुष्टि से आग्नेयशास्त्र की चोट सिद्ध

होती है तथा आग्नेयास्त्र के प्रकार पर भी प्रकाश पड़ता है। विभिन्न दूरियों पर घव की विशिष्टता में अंतर आता है

कॉक्स ने लिखा है : प्रवेश घाव का आकार (**Size of intrance Wound**), हथियार के आकार का सीधे माप नहीं देता सिवाय शॉट गन धाव (विशेष रूप से गोली या छर्छा के बाह्य परिधीय चिन्हों) के जो देखने पर स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य होते हैं। यद्यपि यह राइफल अग्न्यायुध के संपर्क घाव (**Contact Wound**), में अंतर बताने में असफल होता है। ऐसे कारण जैसे बंदूक के मार की सीमा या परास (**Range**), और गैस घुलना, घाव के आकार को अत्यधिक उपान्तरित करते हैं। अनुभवी आंखें एक 22 और 38 गोली के छिद्र के बीच प्रायः अंतर प्रकट कर सकती है। त्वचा में छिद्र और मिसाइल के साइज के बीच अंतर का कारण यह है कि प्रक्षेप्य त्वचा में प्रवेश करने के पूर्व ही उसे दांतेदार बना देता है ताकि तनाव में त्वचा का बेधन या छेदन किया जा सके। गोली त्वचा के चलीलेपन से गुजरने के बाद उसे और संपर्क घाव के किनारों को उनके पूर्ववर्ती आकार में ला देती है। विलोमतः गैस के दबाव द्वारा सुराख का फैलाव हो सकता है जब घाव संपर्क या परास के बहुत निकट होता है।

(2) **निर्गम घाव**— गोली जैसे जैसे शरीर में से होकर गुजरती है, इसका बेग, शीघ्रता से विलंबित होता है तथा सामने के ऊतक एक दूसरे से सट जाते हैं। यदि इसमें काफी झोक विद्यमान हों तो यह ऊतकों के पुलिदों को भेदकर बाहर निकलती है।

#### इस प्रकार निर्गम घाव (Wound Of Exit)

- (1) बहुधा, प्रवेश घाव की अपेक्षा कई गुना बड़ा, घर्षण बल्य अनुपस्थित, (गोली की धूर्णन गति समाप्त होने के कारण)
- (2) घाव के किनारे—असमान, छिड़ने ; बाहर की ओर मुड़े रहते हैं।
- (3) आसपास की चमड़ी के जलने, बालों के झुलसने, गोदने तथा काले पकड़ने की क्रिया नहीं पायी जाती।
- (4) कभी—कभी मुख्य घाव के चारों ओर, कई छोटे—छोटे घाव (अलग होने वाले से pellets )

33. इस बिन्दु पर सर्वाधिक बल बचाव पक्ष द्वारा मृतक के आग्नेयास्त्र से पहुंची चोट को लेकर किया गया है और साक्षियों पर इस आशय के भी सुझाव दिये गये हैं कि फरियादी शैलेन्द्र अ.सा.—7, साक्षी विपिन अ.सा.—09 के द्वारा घटनास्थल के आसपास झांडियां बतायी हैं और उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में मृतक की तथा उनके परिवारवालों की अनेक लोगों से रंजिश थी और अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक को गोली मारी गयी, जिसपर से आरोपीगण को रंजिश के आधार पर झूठा फंसा दिया है। अ.सा.—07 और अ.सा.—09 ने मौके के आसपास झांडियां तो बतायी हैं, जोकि प्र.



पी.-15 के नक्शामौका में उल्लेखित नहीं हैं, किन्तु दोनों साक्षियों ने अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पीछे से मृतक को गोली मारे जाने से साफ तौर से इंकार किया है। रंजिश के बिन्दु को आगे मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण करते समय निष्कर्षित किया जायेगा। चिकित्सीय साक्ष्य को देखा जाये तो यह सही है कि डाक्टर आलोक शर्मा अ.सा.-06 ने मृतक की मृत्यु का कारण बनी आग्नेयास्त्र की गोली लगने पर छाती का प्रवेश द्वार, निकास द्वार से बड़े आकार का बताया है, किन्तु चिकित्सक द्वारा निकास द्वार जो चोट क्र०-2 के रूप में बताया गया है, उसके बारे में यह स्पष्ट साक्ष्य दी है कि निकास द्वार के किनारे बाहर की ओर मुड़े हुए थे और गोली शरीर के दाहिने फेंफड़े को भेदती हुई निकली थी, निकास द्वार के किनारे बाहरी ओर मुड़े होना इस बात का परिचायक है कि गोली छाती में से प्रवेश करते हुए पीठ में से निकली।

34. आग्नेयास्त्र के घावों की विशिष्टियों को प्रभावित करने वाले जो क्षटक होते हैं, जिसमें गोली बारूद की जाति, गोली चलान की दूरी, गोली लगने के पहले किसी दूसरी वस्तु से टकरायी या नहीं टकरायी और शरीर से गुजरते समय किसी हड्डी से टकरायी या नहीं टकरायी। प्र.पी.-12 की एक्सरे रिपोर्ट से तो यह स्पष्ट होता है कि कोई अस्थिभंगन छाती में किसी पसली का नहीं हुआ है। प्रवेश घाव का रूप और उसके विस्तार कई बांतों पर निर्भर करता है कि शस्त्र किस प्रकार का है, उसकी नाल कैसी है, प्रक्षेप किस प्रकार का है।

35. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी श्री राजाराम यादव पुस्तिका के पृष्ठ-621 पर इस संबंध में स्थिति और अधिक स्पष्ट करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि यदि निकटता से गोली चलायी जाती है, तभी प्रवेश घाव की अपेक्षा निकास घाव लघु होता है और तभी गोली के आकार से भी निकास घाव लघु होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० सलीम जिया विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 1979 पेज-391 में भी मार्गदर्शन दिया है, इसलिये बचाव पक्ष द्वारा प्रवेश घाव से निकास घाव छोटे होने के संबंध में जो तर्क किए गये हैं, वह कोई विधिक महत्व नहीं रखते हैं और उसके आधार पर कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि अभियोजन का जो कथानक है, उसमें तथा अ.सा.-07 व अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य में आयी परिस्थितियों मुताबिक गोली अत्यंत निकटता से मारना बतायी गयी है, इसलिये इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृ० स्टेट ऑफ गुजरात विरुद्ध रसूल मियां 1990 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट (एस.सी) शॉर्टनोट-98 को पेश किया है, जिसमें भारतीय साक्ष्य विधान की धारा-45 एवं 60 के संबंध में दिया मार्गदर्शन विचाराधीन मामले में इसलिये लागू किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि न्याय दृ० के मामले में मृतक के साक्षी हितबद्ध अवश्य थे, किन्तु मामला मुक्त संघर्ष (फ्री फाइटिंग) का था और मृतक को चाकू से

उपहृतियां कारित की यगी थीं जिसके बारे में चिकित्सीय साक्ष्य और हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य में भिन्नता के आधार पर संदेह किया गया था, जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है।

36. इसी प्रकार न्याय दृ० धनवार विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. -1998 भाग-दो एम.पी.वीकली नोट शोर्ट नोट-226 में दिया गया मार्गदर्शन भी बचाव पक्ष को लाभकारी नहीं है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में ही साक्ष्य विधान की धारा-60 जोकि मौखिक साक्ष्य संबंधी है, उसके बारे में यह अभिमत दिया था कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य मृतक को पहुंची उपहति को देखते हुए गौण स्वरूप की हो जाती है, क्योंकि मृतक को जो चोटें आयीं थी, वह मामूली खरोंच के रूप में आयी थी, जोकि किसी भी ग्रामीण को दैनिक कार्य के दौरान आ सकती हैं और न्याय दृष्टांत के कथानक मुताबिक मृतक ग्रामीण कृषक था तथा घटना रात्रि की थी, ऐसी परिस्थितियां भी इस प्रकरण में नहीं हैं। इसलिये दोनों न्याय दृष्टांतों का बचाव पक्ष को चिकित्सीय साक्ष्य के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मृतक को जो गोली लगी थी, वह छाती में लगते हुए पीठ से निकली, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। अभिलेख पर ऐसी कोई दृण साक्ष्य या परिस्थितियां नहीं है जिससे मृतक के द्वारा ही गोली अपने शरीर में मारी गयी हो, इस संबंध में चिकित्सक से भी ऐसी राय नहीं ली गयी है कि गोली कितनी दूरी से लगी होगी। इसलिये मृतक की चोटों की प्रकृति को देखते हुए उसे आत्महत्यात्मक स्वरूप की नहीं माना जा सकता है, बल्कि वह हत्यात्मक प्रकृति की ही परिलक्षित होती है और चिकित्सक का राय देने में असमर्थता किये जाने से भी कोई संदेह उत्पन्न नहीं माना जा सकता है तथा मृतक के पहने हुए कपड़ों के संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियोजन की ओर से पेश न किए जाने का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा जो सुझाव दिया गया है, उससे भी मृत्यु आग्नेयास्त्र से गोली लगने के फलस्वरूप होना पायी गयी है। इसलिये चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर मामला भा०द०वि की धारा-300 के खण्ड-एक के अंतर्गत आना पाया जाता है। जो किसी भी अपवाद में नहीं हैं।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 04 व 05 का निराकरण

37. उक्त दोनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
38. जहां तक अभिलेख पर आयी प्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रश्न है, इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से घटना के बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी

रविन्द्र अ.सा.-10 और धर्मेन्द्र अ.सा.-12 भी हैं, रविन्द्र अ.सा.-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह खेत पर से अपने गांव बिरखडी जा रहा था, तब पुलिस के पास उसे भीड़ इकट्ठी मिली थी। पुलिस भी मौजूद थी, जहां अवधेश की लाश का पंचनामा बनाया था। झगड़े के बारे में उसे जानकारी नहीं है, ना पुलिस को उसने बयान दिया था और इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि खेत से गांव के स्कूल के आगे चारों आरोपीगण पिस्टल, कटटा से लैस होकर खड़े थे, उनके साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे। उसने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने घटना देखी थी और आरोपी अनिल बिरथरिया और जान से मारने की नीयत से पिस्टल से अवधेश की छाती में घात लगाकर गोली मारी गयी थी। जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हुई थी। बल्कि उसने घटनास्थल पर 03:30 बजे के बाद पहुंचना बताया है, जब भीड़ थी अर्थात् वह फायर करते हुए घटना देखने की पुष्टि नहीं करता है। बल्कि बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझावों के दौरान पैरा-03 में उसने यह भी कहा है कि वह अपने घर से खेत के लिए दोपहर 01:45 बजे मोटरसाइकिल से निकला था, क्योंकि उसके गेहूं कट रहे थे, एक सवा घण्टे उसने खेत पर काम देखा था। मौके पर जब आया, तब उसने भीड़ में से लोगों से पूछा था कि अवधेश कैसे खत्म हुआ था, तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं बता पा रहा था, संभवतः भीड़ को पता नहीं होगा कि अवधेश कैसे खत्म हुआ है। अवधेश के परिवार के लोग भी मौजूद थे। उसने यह भी कहा है कि अवधेश की लाश को रखकर गांव वालों ने चक्का जाम किया था क्योंकि हत्या करने वालों का पता नहीं चल रहा था और उसके बाद वह अपने घर आ गया था, साक्षी ने प्र.पी.-17 का पुलिस को कथन देने से इंकार किया है।

39. धर्मेन्द्र अ.सा.-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह तो बताया है कि घटना वाले दिन के करीब 02:45, 03:00 बजे वह, अवधेश, विपिन और शैलेन्द्र ट्रैक्टर से गोहद चौराहा से ग्राम बिरखडी आये थे, जिसे बनवारी चला रहा था। डाक बंगले पर अवधेश, शैलेन्द्र और विपिन ट्रैक्टर से उतर गये थे और वह ट्रैक्टर लेकर अपने घर पहुंचा था, पहुंचते ही विपिन और शैलेन्द्र का उसके पास फोन आया था, कि अनिल ने अवधेश को गोली मार दी है, उसके 10 मिनट बाद वह मौके पर पहुंचा था, इस तरह से वह भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने से इंकार करते हुए घटना देखने से वह इंकार कर रहा है। साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है कि उसके परिवार की आरोपीगण से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश को लेकर आरोपीगण ने अवधेश ने हत्या की है। उसने गोहद चौराहा पर ट्रैक्टर की ट्रॉली बनवाने के लिए जाना बताया है और लौटकर डाक बंगले पर अवधेश, विपिन, शैलेन्द्र का उतर जाना तथा ट्रैक्टर को लेकर अपने घर चले जाने पर शैलेन्द्र का मोबाइल पर फोन आना बताते हुए यह कहा है कि शैलेन्द्र और विपिन ने यह बताया था कि

अवधेश को गोली मार दी है। लेकिन किसने मारी, उसका नाम नहीं बताया था, यह कहा था कि 04-05 लोग थे और जब वह टनास्थल पर पहुंचा, वहां आरोपीगण नहीं मिले थे। गांव के लोग इकट्ठे थे। पुलिस को प्र.पी.-21 का कथन देते समय उसने अवधेश की छाती में गोली लगने से मृत्यु होने की बात पुलिस को बताना कहा है। लेकिन आरोपीगण द्वारा जान से मारने की नीयत से मारी गयी, ऐसा उसने नहीं बताया था, क्योंकि वह मौके पर उस समय नहीं था, बाद में पहुंचा था। साक्षी ने आरोपी अनिल, गिरीश और फरियादी शैलेन्द्र की खेतीबाड़ी को लेकर और जमीन के पैसे को लेकर रंजिश होने की बात भी बतायी है।

40. इस तरह से रविन्द्र अ.सा.-10 और धर्मेन्द्र अ.सा.-12 घटना देखने से इंकार करते हैं और बाद में पहुंचना कहते हैं। जिन्हें अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी मूलतः घटना के बिन्दु पर घोषित किया गया है, जिन्होंने पूछे गये सूचक प्रश्नों में घटना देखने का समर्थन नहीं किया है, किन्तु अवधेश की गोली मारने से हत्या होने की बात अवश्य वे बताते हैं, जहां तक आरोपीगण का प्रश्न है। रविन्द्र अ.सा.-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में मौके पर गांववालों के द्वारा चक्का जाम करने की बात बचाव पक्ष के पूछने पर बतायी है कि अवधेश के मारने वालों का पता नहीं चल रहा था, इसलिये चक्का जाम किया गया था और वह आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन और गिरीश का ग्राम बिरखडी छोड़कर 05-06 साल से ग्वालियर में परिवार के साथ रहना कहता है। गिरीश के बारे में उसका यह भी कहना है कि गिरीश के बच्चे ग्वालियर में पढते हैं, लेकिन गिरीश खेती करने के लिए गांव आता है। घटना के पहले और बाद में उसने गिरीश और अनिल को ग्राम बिरखडी में नहीं देखा था।

41. इस तरह से रविन्द्र अ.सा.-10 आरोपीगण के संदर्भ में अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहा है और बचाव पक्ष के सुझावों को स्वीकार करता है, इसलिये उससे घटना का समर्थन नहीं है और धर्मेन्द्र अ.सा.-12 घटना होने के पूर्व तक फरियादी के साथ होने की पुष्टि करता है। घटना के तत्पश्चात फरियादी शैलेन्द्र द्वारा उसे सूचना दिये जाने पर मौके पर पहुंचना भी बताता है। ऐसे में उसका स्वयं अपनी आंखों से घटना होते हुए न देखने की जो साक्ष्य दी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अ.सा.-07 और अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता से विश्लेषण अपेक्षित हो जाता है। क्योंकि अ.सा.-12 अवधेश की मृत्यु छाती में गोली लगने से होना बताता है और पैरा-04 में वह रंजिश को लेकर आरोपीगण के द्वारा अवधेश की हत्या करने की बात भी बताता है। प्रतिपरीक्षण में अवश्य वह मुकर गया है और बचाव पक्ष के सुझावों पर रंजिश की बात के अलावा वह कल्लू उर्फ मदुसूदन और गिरीश का गांव में न रहकर ग्वालियर में रहने को स्वीकार करता है। रामबरन को भी गांव



में घटनावाले दिन न देखे जाने की बात बताता है। क्योंकि यह उल्लेखनीय है कि धर्मेन्द्र अ.सा.-12 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दो दिन में पूर्ण हुआ है। अर्थात् दिनांक-25 व 26 अगस्त 2015 में उसका अभिसाक्ष्य हुआ। अधिकांश प्रतिपरीक्षण अगले दिन की है। ऐसे अज्ञात परिस्थितियों के चलते साक्षी का आरोपीगण के अन्यत्र होने की पुष्टि करने का बिन्दु प्रकट हुआ है। ऐसे में उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य का बचाव पक्ष को लाभ न्याय दृष्टांत **खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी.ए.आई.आर. 1991 एस.सी. पेज-1853** में यह मार्गदर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है कि मात्र कोई साक्षी पक्ष विरोधी हो गया है इस कारण उसका पूरा साक्ष्य बासआउट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के पक्ष विरोधी हो जाने से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। न्याय दृष्टांत **अप्पाभाई एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ़ गुजरात ए0आई0आर0 1998 एस0सी0 पेज-699** में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन के पक्ष समर्थन न किये जाने के कई अज्ञात कारण हो सकते हैं एवं वर्तमान समय में लोगों में दूसरों के मामलों में न पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऐसे स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन न करने के आधार पर अभियोजन के मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है जो अ0सा0-10 और अ.सा.-12 के मामले में पूर्णतः लागू किये जाने योग्य है।

42. यह अवश्य है कि ऐसी स्थिति में अभियोजन के अन्य साक्षियों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन अपेक्षित हो जाता है। अ.सा.-12 के पैरा-13 में यह तथ्य बताया गया है कि गिरीश के बच्चे मुरार, ग्वालियर में 04-05 साल से पढ रहे हों तो उसे जानकारी नहीं है, लेकिन उसने गिरीश के बच्चों को ग्राम बिरखडी में पढते हुए देखा है। कितने साल से देखा, यह भी वह नहीं बता सकता, किन्तु वह घटना दि0 को गिरीश की ग्राम बिरखडी में भी पुष्टि सुनिश्चित करते हुए यह बताता है कि घटना वाले दिन सुबह गिरीश उसे गांव में दिखा था जो अपने घर पर था और उसे मेवालाल की दुकान के पास रासते में मिला था, लेकिन उसकी बातचीत नहीं हुई थी, जिसे खण्डित नहीं किया गया। बल्कि उक्त बात प्रतिपरीक्षण में ही आयी है, ऐसे में गिरीश का अन्यत्र उपस्थित होने का लिया गया अभिवाक जिसके संबंध में वह बचाव पक्ष में बलवीरसिंह व.सा.-02 और विनोद जैन व.सा.-03 को पेश करते हुए लेकर आया है, उसका खण्डन होता है, क्योंकि बलवीर वह साक्षी है, जो ग्राम बिरखडी में ही रहता है और अनिल, गिरीश और कल्लू उर्फ मधुसूदन के हिस्से की कृषि भूमि पर बंटायी से खेती करता है जिसने पैरा-03 में दि0-12/03/2013 को अवधेश की गांव में हत्या होने की बात भी स्वीकार की है और वह घटना दि0-12/03/2013 को दिन के करीब 11:00 बजे गिरीश से मोबाइल पर खेती के हिसाब के कुछ पैसे के लेनदेन की बातचीत

होना भी बताता है। जिसपर फोन पर ही गिरीश ने उससे यह कहा था कि अभी उसके बच्चों की परीक्षा चल रही है, इसलिये वह 02-04 दिन बाद गांव आयेगा। इसका खण्डन हो रहा है और गिरीश की ओर से ग्वालियर में निवासरत होने, बच्चों के विद्या अध्ययन करने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है, जोकि पेश किया जा सकता था। ना ही उसके द्वारा मोबाइल फोन से बलवीर को की गयी सूचना की कॉल डिटेल् प्राप्त करके या विहित रीति से मंगाये जाने की मांग की गयी, जो की जा सकती थी। क्योंकि कॉल डिटेल् से मोबाइल के टावर लॉकेशन निश्चित हो सकती है, बचाव पक्षी अपना मोबाइल नंबर भी बताता है, उससे भी कॉल डिटेल् प्राप्त की जा सकती थी।

43. इसके अलावा इस बिन्दु पर गिरीश की ओर से दूसरे बचाव साक्षी विनोद जैन व.सा.-03 पेश किया गया है, जिसने गिरीश को अपने आर्य नगर, मुरार, ग्वालियर में स्थित मकान में वर्ष 2010 से किरायेदार की हैसियत से रहना बताते हुए दिनांक-12/03/2013 को दिन के 02-03:00 बजे गिरीश को अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आना और उसके आवासीय मकान में ही बाहरी कमरे में संचालित दुकान पर बैठना बताया है, जिसका यह भी कहना है कि गिरीश बच्चों को स्कूल छोड़कर टाइम्पास करने के लिए उसकी दुकान पर रोजाना आकर बैठ जाता था। साक्षी ने यह भी कहा है कि वह सुबह 07 बजे से लेकर रात 10-10:30 बजे तक दुकान खोलता है। दिन में 02-03 घण्टे के लिए खाना आदि खाने घर के अंदर जाता है, उस दौरान उसका भाई दुकान पर बैठता है। अर्थात् व.सा.-03 के पास आरोपी गिरीश का रोजाना का उठना बैठना वह कह रहा है, किन्तु उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि गिरीश ग्वालियर में रहकर क्या काम करता है। साक्षी को गिरीश की दी गयी जानकारी के आधार पर केवल इतना पता है कि गिरीश की गांव बिरखडी में जमीन है और बंटाई से अनाज उसके पास आ जाता है। गिरीश कहीं भी आने जाने की सूचना उसे देकर नहीं जाता है।

44. उक्त साक्षी ने पैरा-02 में साक्षी ने घटना दि0 याद होने का कारण यह बताता है कि उक्त दिनांक उसे इसलिये याद है कि गिरीश ने उसे बताया था कि उनके गांव में मर्डर की घटना हो गयी है, लेकिन उक्त बात उसे घटना दिनांक को ही बतायी या बाद में बतायी। इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। व.सा.-03 के अभिसाक्ष्य को समग्र रूप से देखा जाये तो घटना दिनांक को ही उसे उक्त बात गिरीश द्वारा बतायी जाना परिलक्षित होता है। यदि ऐसा मान भी लिया जाये तो गिरीश को घटना के समय ही घटना की जानकारी कैसे हुई इस पर स्थिति मौन है। इसलिये व.सा.-03 महत्वहीन साक्षी हो जाता है और व.सा.-2 और व.सा.-03 के अभिसाक्ष्य ने गिरीश के घटना के समय ग्राम बिरखडी में ना होकर ग्वालियर में होने का

अभिवाक स्थापित नहीं होता है, ऐसे में अ.सा.-12 के पूर्णतः घटना के समर्थन न करने से अभियोजन का मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता है और गिरीश की अन्यत्र उपस्थित होने की पुष्टि नहीं होती है। बल्कि शैलेन्द्र अ.सा.-7 और विपिन अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य में उसकी अन्य आरोपीगण के साथ घटना में मौजूदगी होने और सक्रियता से भाग लिया जाना कहा है।

45. जहां तक आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के घटना के समय अन्यत्र होने का अभिवाक है। इस संबंध में फरियादी शैलेन्द्र शर्मा अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन का भी घटना में शामिल होने और सक्रियता से भाग लेना बताया है, उसने केवल इतना अवश्य पैरा-21 में स्वीकार किया है कि कल्लू ग्राम बिरखडी में नहीं रहता है और कल्लू उर्फ मदुसूदन अपने पिता के साथ परिवार सहित ग्वालियर बिरखडी छोड़कर स्थाई रूप से रहता है, किन्तु उसने गांव में जाना जाना बताया है और कल्लू के पिता द्वारा जमीन कितने साल पहले बेची गयी, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी होने से भी इंकार किया है कि कल्लू उर्फ मदुसूदन के पिता ने 26 अक्टूबर 2006 को नईदिल्ली दैनिक समाचारपत्र में ग्राम बिरखडी छोड़कर परिवार सहित रणधीर कॉलौनी ग्वालियर में निवास करने की सूचना प्रकाशित करायी थी। इस बात से उसने इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन मौके पर न होकर ग्वालियर में था और डाक्टर राकेश रायजादा के कोणार्क अस्पताल में पी.आर.ओ. के पद पर कार्यरत होकर सुबह 10:30 बजे से रात 08:30 बजे तक कार्यरत रहा था। पैरा-22 मुताबिक उसे यह भी जानकारी नहीं है कि डाक्टर राकेश रायजादा द्वारा उपमहानिरीक्षक चंबल संभाग को कल्लू उर्फ मदुसूदन के घटना में शामिल न होने के संबंध में जांच कराने हेतु कोई आवेदनपत्र दिया गया था।

46. हालांकि यह सुस्थापित विधि है कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्षी की तरह ही देखा जाना चाहिए। केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं करना चाहिए कि वह बचाव पक्ष द्वारा पेश किया गया है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **मनीष कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2009 सीआरएलजे पेज-115** में मार्गदर्शित किया गया है।

47. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से उक्त पेपर प्रकाशन और पुलिस के उपमहानिरीक्षक चंबल संभाग को जांच हेतु दिये गये आवेदनपत्र, को पेश नहीं किया है। अन्यत्र होने का खण्डन विपिन अ.सा.-09 के द्वारा भी किया गया है। उसने भी अ.सा.-07 की तरह ही पैरा-11 में अभिसाक्ष्य देते हुए आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन का परिवार सहित ग्वालियर में रहना बताते हुए यह कहा है कि वह

ग्वालियर में भी रहता है और गांव में भी रहता है। इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के पास गांव में रहने के लिए कोई मकान नहीं है तथा इस संबंध में धर्मेन्द्र अ.सा.-12 के पैरा-16 में प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य आया है कि कल्लू का बिरखडी में मकान है, लेकिन जमीन बेचकर 07-08 साल से वह ग्वालियर में परिवार सहित रहने लगा है अर्थात् उक्त दोनों साक्षी कल्लू उर्फ मदुसूदन का गांव में मकान होने की बात बताते हैं और प्रतिपरीक्षण में ही यह तथ्य आया है, जिसका खण्डन नहीं हुआ है। जबकि इसके विपरीत स्वयं आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन ने धारा-315 द0प्र0सं0 के तहत व.सा.-04 के रूप में अभिसाक्ष्य पैरा-02 में यह कहा है कि ग्राम बिरखडी में उसका कोई मकान अथवा जमीन जायदाद नहीं है, जिसका खण्डन हो रहा है। जमीन के संबंध में बलवीरसिंह व.सा.-02 बचाव पक्ष का साक्षी पैरा-02 में यह भी कहता है कि 08-09 साल से वह आरोपी रामबरन को छोड़कर शेष सभी आरोपीगण की कृषि भूमि के हिस्से की भूमि पर बंटाई से खेती करता चला आ रहा है। अर्थात् व.सा.-02 कल्लू उर्फ मदुसूदन की ग्राम बिरखडी में कृषि भूमि होना भी बता रहा है और जमीन जायदाद बेचकर ग्वालियर में रहने संबंधी पेपर प्रकाश के अभाव में उक्त अभिलेख पर आयी साक्ष्य से आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन की ग्राम बिरखडी में संपत्ति होने की पुष्टि होती है तथा उसके गांव में आना जाना भी बताया गया है। ऐसे में उसके अन्यत्र होने के संबंध में स्वयं का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

48. आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के उक्त अभिवाक के संबंध में डाक्टर राकेश रायजादा व.सा.-01 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं, जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में एम.बी.बी.एस. और रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री प्राप्त कर कोणार्क एक्सरे एवं एल्ट्रासाउण्ड के नाम से ग्वालियर में पडाव थाने के सामने प्राइवेट क्लीनिक सन 1993 से प्रारंभ करना बताया है। आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन का उक्त क्लीनिक पर वर्ष 2009 से रिशेप्सनिस्ट के पद पर कार्यरत होना बताते हुए क्लीनिक पर उसकी कार्य अवधि सुबह 10:30 से लेकर रात 08:30 बजे तक की बतायी है। उसकी क्लीनिक पर 06 कर्मचारी कार्यरत होना बताया गया है तथा उक्त क्लीनिक का क्षेत्रफल साक्षी ने 08 x 16 वर्गफीट में होना बताया है, उसी में अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, सी.टी. स्कैन संचालित रहती है।

49. ऐसे में उक्त चिकित्सक जितने क्षेत्रफल में अपना क्लीनिक बताता है, उसमें स्वयं सहित 06 कर्मचारियों और उपकरणों का स्वभाविक रूप से संचालित रहना संभव नहीं है और मरीजों के बैठने की व्यवस्था हो तो और भी संभव नहीं है, जबकि चिकित्सक उक्त बचाव साक्षी डाक्टर रायजादा के मुताबिक आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन जिसका अल्ट्रासाउण्ड मशीन के पास ही बैठना बताया है।



उसका कार्य क्लीनिक पर मरीजों को दिखाना, उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्टें मरीजों को देना तथा मरीजों को बैठाना, पानी आदि पिलाने का बताया है, वह कोई भी उपकरण संचालित नहीं करता है। ऐसे में आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन का क्लीनिक पर संपादित कार्य का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि व.सा.-01 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो रिपोर्टें जिन्हें वह तैयार करता था, उन्हें किसी पंजी में दर्ज कर संबंधित मरीजों को प्राप्त करायी जाती थी या नहीं। ऐसे में डाक्टर राकेश रायजादा व.सा.-01 का अभिसाक्ष्य स्वभाविक स्वरूप का नहीं है और उसके आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन से अधीनस्थ कर्मचारी होने से हितबद्धता भी झलकती है, क्योंकि जो कार्य के घण्टे बताये गये हैं, वह भी दिन के सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 08:30 बजे तक लगातार कार्य किया जाना संभव नहीं है। जैसा कि कल्लू उर्फ मदुसूदन व.सा.-04 के रूप में कहता है और लंच आदि भी क्लीनिक पर दोपहर में सुविधा अनुसार कर लेना बताता है।

50. डाक्टर राकेश रायजादा व.सा.-01 का अभिसाक्ष्य इस आधार पर भी स्वभाविक नहीं लगता है कि वह अपने उक्त क्लीनिक पर अपने नियुक्त 06 कर्मचारियों की उपस्थिति का जो रजिस्टर संधारित करता है, उसमें कर्मचारियों के हस्ताक्षर की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि चिकित्सक स्वयं ही कर्मचारियों की उपस्थिति, अनुपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही करना बताता है और यह कहता है कि वह सामान्यतः कर्मचारियों की प्र.डी.-05 की पंजी में उपस्थिति ड्यूटी समाप्त होने पर रात 08:30 बजे प्रतिदिन करता है। सुबह ड्यूटी प्रारंभ होने पर प्रविष्टि नहीं करता है तथा किसी कर्मचारी के बिलंब से आने के संबंध में उसका पैरा-06 में यह कहना रहा है कि वह केवल 30 मिनट तक ही कर्मचारी की प्रतीक्षा करता है, उसके बाद ही रजिस्टर में अनुपस्थिति दर्ज करता है। प्रतिदिन का प्रमाणीकरण वह पंजीपर नहीं लगाता है। उक्त चिकित्सक का यह कहना भी अस्वाभाविक है कि वह अपने कर्मचारियों को प्रत्येक दो घण्टे में चेक करता है, क्योंकि यदि ऐसा क्लीनिक कोई चिकित्सक जिसमें 06 कर्मचारी नियुक्त हों, वहां निश्चित रूप से कार्य की अधिकता होगी और अन्य कर्मचारियों का प्रत्येक दो घण्टों में नियमित रूप से चेक करना स्वाभाविक रूप से संभव ही नहीं है। उक्त चिकित्सक ने आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के जमानत स्तर पर प्र.पी.-06 का शपथपत्र माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में इस आशय का देना बताया है कि घटना के समय कल्लू उर्फ मदुसूदन उसके क्लीनिक पर कार्यरत था, घटना में शामिल नहीं था। उक्त शपथपत्र जमानत के प्रयोजन तक ही सीमित है, उसे गुणदोषों के रूप में नहीं लिया जा सकता है, इसलिये उसकी उपयोगिता नहीं है।

51. व.सा.-01 का जिस तरह का अभिसाक्ष्य आया है उसकी

अस्वाभाविकता स्वयं आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के व.सा.-04 के रूप में दिये गये अभिसाक्ष्य पैरा-05 में भी प्रकट होती है, जिसमें कल्लू उर्फ मदुसूदन ने डाक्टर रायजादा के ग्वालियर के कोणार्क अस्पताल की 04 शाखायें पडाव, शिंदे की छावनी, और हनुमान चौराहा पर संचालित बतायी हैं, जिनका संचालक डाक्टर राकेश रायजादा ही करते हैं, लेकिन डाक्टर राकेश रायजादा के जो कार्य करने के घण्टे बताये हैं, उसमें पडाव स्थित क्लीनिक पर जहां कि वह स्वयं काम करता है, वहां डाक्टर राकेश रायजादा का सुबह 10:30 बजे आ जाना फिर 03:00, 03:30, 04:00 बजे शिंदे की छावनी वाले अस्पताल के ऊपर निवास में चले जाना फिर शाम को 05:00, 05:30 बजे पुनः उक्त क्लीनिक पर ही वापिस आ जाना वह बताता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि इतना समय डाक्टर राकेश रायजादा अपने पडाव स्थित क्लीनिक पर व्यतीत करते हैं तो अन्य शाखाओं में जाकर उनका संचालन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे में प्रत्येक 02 घण्टे में कर्मचारियों को नियमित रूप से चौक करना स्वतः ही खण्डित हो रहा है।

52. व.सा.-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन क्लीनिक पर कभी मोटरसाइकिल से कभी टैम्पो से आता जाता था और ग्वालियर में ही रहता है। यह भी स्वीकार किया है कि उसके क्लीनिक के नजदीक ग्वालियर रेल स्टेशन और बस स्टैण्ड है, थाना सामने है। मोटरसाइकिल से या अन्य साधनों से घटनास्थल की दूरी उक्त क्लीनिक से एक घण्टे में या उससे कुछ अधिक समय में तय की जा सकती है, क्योंकि घटनास्थल और उक्त क्लीनिक की दूरी करीब 40 किलोमीटर के आसपास है, जिसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है।

53. व.सा.-01 डाक्टर रायजादा ने पैरा-03 में प्रमाणीकरण और आरोपी की पृष्ठ क्र0-12 के सरल नंबर-05 की प्रविष्टि अपनी हस्तलिपि में करना बताया है। यदि 04 क्लीनिकों का संचालन स्वयं उक्त चिकित्सक करे तो सारा काम चिकित्सीय व्यवसाय के साथ करा पाना संभव नहीं है, इससे भी उक्त चिकित्सक की आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन से नियोजन के रिश्ते के चलते हितबद्धता झलकती है। उक्त चिकित्सक का पैरा-06 में दिया गया यह अभिसाक्ष्य अतिशयोक्तिपूर्ण है जिसमें वह यह कहता है कि **“उसके क्लीनिक का कोई कर्मचारी कार्य अवधि के दौरान अनुपस्थित होकर नहीं जाता है, न ही आजतक गया है।”** क्योंकि जो अभिलेख पर डाक्टर रायजादा के क्लीनिक की कार्य पद्धति के बारे में तथ्य आये हैं उससे तो डाक्टर रायजादा स्वयं भी पडाव स्थित अपने क्लीनिक पर पूरा समय नहीं रहते हैं और कल्लू उर्फ मदुसूदन के मुताबिक लगभग दिन के 03:00, 03:30 बजे से लेकर 05:00, 05:30 बजे की अवधि में डाक्टर रायजादा अपने घर पर चले जाते हैं, इस अवधि में

उनके कौन कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इसका नियंत्रण किसीकी देखरेख में होती है, यह नहीं बताया गया है। ऐसे में व.सा.-01 का अभिसाक्ष्य भी आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के अन्यत्र होने के अभिवाक की पुष्टि में सहायक नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त आरोपी की ओर से लिखित व मौखिक तर्कों में लिये गये आधार स्थापित नहीं होते हैं।

54. जहां तक अन्यत्र होने के संबंध में आरोपी रामबरन का अभिवाक है, उसके बारे में अभियोजन साक्ष्य में इस बात की स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से अवश्य आयी है कि आरोपी रामबरन ग्राम बिरखडी का रहने वाला नहीं है, बल्कि वह ग्राम दीखतन का पुरा का रहने वाला नहीं है और अर्जुन कॉलोनी गोहद में उसने स्वयं रहना बताया है। उसके संबंध में यह बिन्दु भी निर्विवादित है कि रामबरन, गिरीश और अनिल का बहनोई और कल्लू उर्फ मदुसूदन का फूफा है। जैसा कि अ.सा.-7 और अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य में भी आया है। विपिन अ.सा.-09 ने ग्राम बिरखडी से दीखतनपुरा की दूरी करीब 10-12 किलोमीटर पैरा-26 में बतायी है, किन्तु उसका गांव में आना जाना बताया है। क्योंकि शेष तीनों आरोपी ग्राम बिरखडी के हैं। रामबरन की ओर से अभियोजन साक्षियों पर की गयी प्रतिपरीक्षा में अपनी अन्यत्र उपस्थिति कही थी, ऐसा स्पष्ट कोई सुझाव नहीं दिया है, ना अन्यत्र होने के संबंध में कोई अपनी ओर से बचाव साक्ष्य पेश की है। बल्कि उसके संबंध में जो साक्ष्य अभिलेख पर है, उसमें शैलेन्द्र अ.सा.-07 के पैरा-12 में यह स्पष्ट रूप से आया है कि रामबरन शेष आरोपीगण गिरीश व अनिल का बहनोई है, जो अलग रहता है। रामबरन की ससुराल उनके गांव में है, लेकिन वह ससुराल कब कब आया, यह वह नहीं बता सकता, किन्तु उसने यह स्पष्ट किया है कि आरोपीगण ने घटना के दो तीन साल पहले खेत रोकने की घटना की थी तब रामबरन खेत पर रोका रोकी में अन्य आरोपीगण के साथ देखा था और खेत पर रोका रोकी उसने वर्ष 2009 से कुछ साल पहले करना बताया है, इस बात का खण्डन नहीं है इसलिये उसके अन्यत्र होने का अभिवाक स्थापित नहीं होता है।

55. श्री आर.डी. गुप्ता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृ0 अन्ना एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हैदराबाद ए.आई.आर.-1956 हैदराबाद पेज-99 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्यत्र होने का अभिवाक प्रारंभिक स्तर पर ही उठाना चाहिये तथा मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी प्रमाण भी देना चाहिये। आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन एवं गिरीश के द्वारा ग्वालियर में पहले से परिवार रहित निवासरत होने का अभिवाक अवश्य लिया गया है, किन्तु उसके संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त अभिवाक स्थापित नहीं माना गया है, क्योंकि जहां तक आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के डाक्टर रायजादा के क्लीनिक पर होने संबंधी मौखिक व प्र.पी.-5 और 6 का

दस्तावेजी प्रमाण पेश किया गया है, उसे विश्वसनीय नहीं पाया गया है। इसके लिए आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य में प्र.डी.-07 का राशनकार्ड पेश किया गया है, जो वर्ष 2012 में बनवाया गया है, जिसके संबंध में कल्लू उर्फ मदुसूदन ने यह स्वीकार किया है कि उसमें खाद्यान्न प्राप्त करने की कोई भी प्रविष्टि नहीं है तथा भारतीय निर्वाचन आयोग का पहचानपत्र प्रदर्श डी.-08 के रूप में पेश किया गया है, जो वर्ष 2007 का होकर 297 मेला रोड ग्वालियर, ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र-15 का है और प्र0डी.-09 का जो ड्राइविंग लाइसेंस आर0टी0ओ0 ग्वालियर से जारी हुआ है, वह सन 2005 का है, जिससे यह तो स्पष्ट होता है कि आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन घटना के पहले से ग्वालियर में रह रहा है, किन्तु जिस स्थान पर उसका निवास है, वहां से ग्राम बिरखडी के लिए सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग भिण्ड ग्वालियर नेशनल हाईवे क्र0-92 है और उसकी पुष्टि मौके पर अस्वाभाविक नहीं है तथा अ.सा.-07 और अ.सा.-09 ने उसकी घटना में पुष्टि और सक्रियता की साक्ष्य दी है, इसलिये उक्त दस्तावेजों के आधार पर घटना के समय अन्यत्र होने की पुष्टि नहीं मानी जा सकती है।

56. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गये अन्य न्याय दृ० ए 0आई0आर0 1990 सु०को० पेज-1628 बी०एन० सिंह वि० स्टेट ऑफ गुजरात में भी अन्यत्र होने का अभिवाक लिया गया है। न्याय दृ० के मामले में जिस आरोपी द्वारा यह अभिवाक लिया गया था वह घटनास्थल जो कि महाराष्ट्र का बंबई के अलावा दूसरा जिला था, वहां की घटना थी, और आरोपी ने मौके पर न होकर बंबई में होने का अभिवाक लिया था और उसके समर्थन में जिस जोशी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर-08 में वह ठहरा था, उसका मूल रजिस्टर साक्ष्य में पेश किया गया है, जिसके मुताबिक घटना के एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक आरोपी उसमें ठहरा था, किन्तु ऐसी प्रामाणिकता विचाराधीन मामले में आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन के संबंध में नहीं है, क्योंकि जैसा ऊपर लिखा गया है, उस मुताबिक आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन की ग्वालियर से भी घटनास्थल पर पहुंचकर उपस्थिति संभव है। इसलिये उक्त न्याय दृ० आरोपीगण के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

57. इसी प्रकार अन्य प्रस्तुत न्याय दृ० स्टेट ऑफ यू.पी. वि० मोतीराम आदि ए.आई.आर. 1990 सु.को. 1709 में भी उक्त आधार के अलावा पुरानी रंजिश और सड़यंत्र का आधार लिया गया था। न्याय दृ० के मामले में कुल 41 अभियुक्त थे, पुरानी रंजिश और दीवानी मुकदमेबाजी का आधार था, जैसा कि विचाराधीन मामले में अवश्य है, किन्तु जिन अभियुक्तों ने अन्यत्र होने का अभिवाक लिया था, उसके संबंध में इस आशय की अकाट्य साक्ष्य थी कि घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा अन्यत्र होते हुए गोरखपुर भारतीय रेल



लाइन पर रेलवे स्टेशन खोड़ाया और गौरी बाजार के बीच बिना टिकिट रेल यात्रा की थी और उन्हें टी.टी. द्वारा पकड़ा गया था। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था और घटना के एक दिन पहले से लेकर 04 दिन बाद तक वे जेल में रहे थे, इस आधार पर उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा झूठा फंसाया जाना माना था। ऐसी कोई परिस्थिति विचाराधीन मामले में नहीं है, इसलिये उक्त न्याय दृ0 प्रकरण में प्रयोज्य नहीं होता है।

58. अन्य प्रस्तुत किया गया न्याय दृ0 ए0आइ0आर0 2002 सु. को0 पेज-3569 जयंतीभाई वि0 स्टेट ऑफ गुजरात में भी अन्यत्र होने के अभिवाक के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य किया गया था कि न्याय दृ0 के मामले में इस बिन्दु पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से अन्यत्र होने का आधार इस तरह से प्रमाणित हुआ था कि घटना रात 08:00 बजे घटी थी और आरोपी घटना के पूर्व से ही आधे दिन पूर्व अन्यत्र चले गये थे, जिन्होंने बस से यात्रा करने के टिकिट और जिस कारण से वे अन्यत्र गये थे, उसका प्रमाण दिया था। न्याय दृ0 के मामले में आरोपीगण जिनमें याचिका की सुनवाई के लिए अपने घर से एडिशनल डब्लपमेंट कमिशनर के यहां गये थे और घटना दिनांक को उनकी पेशी नियत थी तथा घटना के पूर्व से वे चले गये थे और घटना के बाद दूसरे दिन सुबह वे नियत स्थान पर पहुंचे थे। ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित पाया गया था। इस प्रकरण में भी इस तरह का कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है। डाक्टर रायजादा का शपथ और उसकी पंजी जिस तरह से संधारित है, वह उसका ठोस प्रमाण नहीं देता है। इसलिये अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक किसी भी आरोपी के संबंध में प्रकरण में स्थापित नहीं होता है, लेकिन यह अभी सूक्ष्मता से विश्लेषण करना बाकी है। आरोपी घटना में शामिल थे या नहीं, क्योंकि मूल घटना मुताबिक मृतक अवधेश को एक गोली लगी है। घटना कारित करने वाले विचाराधीन चार आरोपीगण के कुल दो अज्ञात व्यक्ति भी बताये गये हैं। अज्ञात व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

59. अ.सा.-07 और अ.सा.-09, अ.सा.-10 और अ.सा.-12 के अभिसाक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से यह प्रयास किया गया है कि अवधेश की हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा या जैसा कि साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में गांव के व अन्य लोगों से जमीन जायदाद संबंधी पार्टीबंदी संबंधी जो पुरानी रंजिश बतायी गयी है, उसके आधार पर अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या करने का लिया है। जिसके बारे में अ.सा.-10 और अ.सा.-12 स्थिति स्थापित करने में असमर्थ है। अ.सा.-7 और अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य में साक्ष्य अवश्य आई है, जिसका अभी मूल्यांकन अभी आगे होगा। किन्तु एफ आई आर में अन्य जो अज्ञात

बताये गये हैं उनका पता न चल पाने के आधार पर विचाराधीन आरोपीगण के संबंध में मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अज्ञात के पता च लाने का कोई फायदा विचाराधीन आरोपीगण को प्राप्त नहीं हो सकता है। उनकी घटना में भूमिका अभी अवश्य देखनी होगी।

60. अभियोजन के कथानक में विचाराधीन चारों आरोपीगण का घटना में शामिल रहना बताया गया है और उनका घात लगाए हथियारों से लेश होकर भी बताया गया है। चारों आरोपीगण आपस में निकट संबंधी है और मूल घटना में मृतक अवधेश को एक ही गोली लगी है। ऐसे में आरोपीगण का घटना में आन्वयिक प्रतिनिधिक (Vicarious libility) आपराधिक दायित्व को स्पष्ट करना आवश्यक है। प्र.पी. 12 की एफ.आई.आर. एवं प्र.पी. 2 की मर्ग सूचना में चारों आरोपीगण का एकराय होकर घात लगाकर घटनास्थल के रास्ते के दोनों तरफ बैठे होना और फिर मृतक के व फरियादी के आने पर मृतक अवधेश को आरोपी अनिल विरथरिया के द्वारा निशाना लगाकर छाती में गोली मारना बताया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

61. इस संबंध में अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य में फरियादी शैलेन्द्र शर्मा अ0सा 7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि दिनांक 12.03.13 को दिन के करीब पौने तीन बजे जब वह विपिन एवं अवधेश गोहद चौराहा से ट्रैक्टर से ग्राम विरखडी आए थे तो डॉक बगला के पास उतर गए थे और ट्रैक्टर को बनवारी चला रहा था तथा वे जब रास्ते में स्कूल वाली पुलिया के पास पहुँचे तो आरोपीगण झाड़ियों में आस पास छिपे थे जिनके साथ दो अन्य लोग भी थी जिन्होंने जान लेबा हमला किया था और अनिल ने पिस्टल से अवधेश की छाती में सामने से गोली मारी थी जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाना उसने बताया है। शेष आरोपीगण का भी साथ होना और उन फायर करना बताया है। घटना घटित होने में करीब 15 मिनट का समय लगना वह पेरा 5 में बताता है तथा स्वयं का और विपिन का हमला होने पर डर के कारण घटनास्थल के पास बीरेन्द्र के गौंडा तरफ चबूतरे की आड में छिप जाना बताता है। उसका यह भी कहना रहा है कि एकदम से आरोपीगण ने चारों तरफ से घेरकर अवधेश पर हमला किया था। उस समय वह पांच छः कदम की दूरी पर था। पेरा 9 में उसने आरोपीगण और उनकी रंजिश अवधेश की मृत्यु का कारण बताई है और पेरा 11 में अवधेश को गोली एक दो कदम की दूरी से सामने से मारना बताई है। पेरा 19 में आरोपीगण के झाड़ियों में छिपे होने हमला होने पर उन्हें देखने की बात वह बताता है। पेरा 23 में उसने चबूतरे की आड में से आरोपीगण को भागते हुए देखना भी बताया है। पेरा 29 में अज्ञात अन्य रंजिशी लोगों के द्वारा अवधेश की हत्या करने की बात से इन्कार किया है। विपिन अ0सा0 9 का भी

इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य आया है, जिसने जमीनी विवाद की रंजिश भी बताई है और पैरा 19 में इस बात से इन्कार किया है कि जब अवधेश को गोली लगी थी तब वह मौके पर नहीं था, बल्कि उसने कुल 9 लोगों की उपस्थिति बताई है जिसमें चारों आरोपियों, दो अज्ञात आरोपी और स्वयं के अलावा शैलेन्द्र और अवधेश घटनास्थल पर उपस्थित होना बताया है। पैरा 26 में उसने भी ऐसा कहा है कि उसके सामने अवधेश को गोली मारी गई थी।

62. साक्षी विपिन अ0सा0 9 ने पैरा-27 में प्रदीप की झाड़ियों में गिरीश और अनिल का निरपत वधेल के गौंडा तरफ से कल्लू, रामबरन का आना, भिण्ड ग्वालियर रोड पर से दो अज्ञात लोगों का बिरखडी के रास्ते से आना बताया है और यह भी कहा है कि अवधेश पहली गोली लगते ही खत्म हो गया था जो एक फिट दूरी से चली थी। अनिल और अवधेश की दूरी में दो हाथ का अंदर था। अवधेश उससे व शैलेन्द्र से एक दो कदम आगे चल रहा था। वह और शैलेन्द्र बराबरी से चल रहे थे। उनसे चार पांच कदम की दूरी पर अनिल था। गिरीश अनिल से दो कदम पीछे था। दो अज्ञात लोग दस बारह कदम की दूरी पर थे। पैरा 31 में उसने यह भी कहा कि आरोपीगण ने दस पंद्रह कमद तक उनका पीछा किया था उसके बाद वे अपने आप ही रोड तरफ भाग गए। उनका और अधिक पीछा कर के गोली चलाने पर प्रयास उन पर नहीं किया था।

63. इस प्रकार से उपरोक्त दोनों साक्षी चारों आरोपीगण की मौके पर एक साथ उपस्थिति आग्नेयशस्त्रों के साथ बताते हैं, जिनमें अनिल के पास पिस्टल शेष पर कट्टे थे और उनका शक्रीय रूप से घटना में शामिल रहना अभिव्यक्त किया है। आरोपी अनिल विरथरिया पर जो आरोप विरचित है, उसमें अवधेश की हत्या का आरोप प्रत्यक्ष रूप से ही विकल्प में लगाया गया और सामान्य आशय के तहत भी उस पर व अन्य आरोपीगण पर आरोप विरचित किये गए हैं। धारा 34 भा. द.वि. के उपबंध मुताबिक जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने शक के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। अर्थात् आन्वयिक प्रतिनिधिक (Vicarious libility) आपराधिक दायित्व के तहत दोषसिद्ध की जा सकती है।

64. धारा 34 भा.दं.वि. के प्रमाण हेतु मुख्य रूप से दो संघटक प्रमाणित होना आवश्यक है। पहला— सामान्य आशय तथा दूसरा— सामान्य आशय के अग्रसरण में किए गए कार्य में भाग लेना। उक्त प्रावधान के सिद्धांत मुताबिक जब एक बार अपराध को कारित करने में भागीदारी स्थापित हो जाती है तब उक्त प्रावधान आकर्षित हो जाते हैं। आपराधिक दायित्व का सामान्य नियम यह कहता है कि

उस व्यक्ति का यह प्राथमिक दायित्व है जिसने वास्तव में अपराध कारित किया है और उसी व्यक्ति को जिसने अपराध कारित किया है दोषी ठहराया जा सकता है, परंतु संयुक्त दायित्व का ठहराव इस बिन्दु पर होगा जब कई व्यक्तियों का सामान्य आशय एक ही प्रकार का रहा हो।

65. धारा 34 भा.द.वि. अर्थान्वयन में अभिव्यक्ति “सामान्य आशय” पूर्व नियोजित योजना को विवक्षित (एम्पलाइड) करती है। इस धारा को लागू कर के किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि सम्बद्ध आपराधिक कृत्य पूर्वनियोजित योजना के अनुपालन में मिलकर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत **कृष्णनन विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला ए.आई.आर. 1997 एस.सी. पे 383** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 34 भा.द.वि. को लागू करने के लिए अभियुक्त द्वारा किसी खुले कृत्य (ओवर एक्ट) को करना विधि की अपेक्षा में नहीं है, क्योंकि उक्त उपबंध तुरन्त उस क्षण गति में आ जाता है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय को अग्रसरण करने में किया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो और उक्त उपबंध को लागू करने के लिए अभियोजन को केवल इतना स्थापित करना होगा कि सभी संबंधित व्यक्ति सामान्य आशय के भागीदार थे और न्यायालय की संतुष्टि सामान्य आशय की भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। हस्तगत मामले में अ0सा0 7 व अ0सा0 9 की अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से चारों आरोपीगण का घटना में शामिल होना शक्य भागीदारी निभाना बताया गया है और आरोपीगण के द्वारा जो अन्यत्र होने का अभिवाक (Plea of alibi) ऊपर किए गए विश्लेषण मुताबिक स्थापित नहीं माना गया है। इसलिए मृतक अवधेश को आरोपी अनिल द्वारा सामने से नजदीक से पिस्टल से गोली मारना और उससे मृत्यु होना अ0सा0 7 व 9 के अभिसाक्ष्य से स्थापित हुआ है और चिकित्सीय साक्ष्य में भी ऊपर जो विश्लेषण किया गया है उसमें नजदीक से गोली मारने पर निकास घाँव प्रवेश घाँव से छोटा होना स्थापित हुआ है, जिसकी पुष्टि उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से होती है तथा चारों आरोपीगण की शक्यता भी स्थापित होती है। जो घटना के बाद भाग गए थे, इसलिए मौके पर बाद में पहुँचे लोगों को आरोपीगण नहीं मिले।

66. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **सतीश शाह वि० स्टेट ऑफ बिहार 1995 कि.लॉ जनरल एस.सी. पे. 213** में यह मार्गदर्शित किया है कि जब अभियोजन का साक्ष्य यह है कि एक अभियुक्त ने मृतक की बंदूक से फायर कर के चोटें पहुँचाई तथा उसके सहअभियुक्तों ने अन्य पीड़ितों को मृतक की सहायता करने से रोककर घटना में भाग लिया तथा जब सभी घटनास्थल पर एक साथ आए और घटनास्थल से अपराध कारित करने के बाद एक साथ भागे



तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के बीच घटना के पूर्व आपस में मंत्रणा किये जाने के तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है और ऐसी परिस्थितियों में सह अपराधी धारा 34 भा.दं.वि० के अंतर्गत हत्या के मामले में दोषसिद्ध ठहराया जाएगा। हस्तगत मामले में भी मृतक अवधेश को आरोपी अनिल के द्वारा पिस्टल से एक गोली मारी गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शेष आरोपीगण ने उसके साथ रहकर शक्रीय सहयोग किया और सभी एक साथ आए और एक साथ ही घटनास्थल से भागे हैं। ऐसे में उनकी आन्वयिक प्रतिनिधिक (Vicarious libility) आपराधिक दायित्व बावत् हो जाती है। इसलिए प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत लागू किये जाने योग्य हो जाता है।

67. सामान्य आशय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत **ललाई वि० स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 1974 एस.सी. पे. 2118** में यह प्रतिपादित किया है कि सामान्य आशय का सीधा साक्ष्य जुटाना कठिन है। सामान्य आशय का अनुमान प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से निकाला जा सकता है जो कि अपराध करने का समय, घटनास्थल, अभियुक्तों के हथियार, उनमें परस्पर संबंध तथा अपराध करने में उनकी मिलकर की गई कार्यवाही सुसंगत तथ्य होते हैं, जिन पर विचार कर के सामान्य आशय के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। इस मामले में भी आरोपीगण आपस में निकट संबंधी हैं, उन पर आग्नेयशस्त्र बताए गए हैं और आग्नेयशस्त्र से ही मृतक अवधेश की हत्या हुई है। ऐसे में सामान्य आशय प्रकरण में स्थापित होता है।

68. प्र.पी.-20 के जब्ती पत्रक मुताबिक घटनास्थल से जो दो खोखे घटना के विवेचक ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 ने नक्शामौका बनाते समय घटनास्थल से बरामद करना बताये हैं। जिसका समर्थन धर्मेन्द्र अ.सा.-12 ने भी किया है। विपिन अ.सा.-09 ने उसके बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है। मृतक अवधेश को एक ही गोली लगी थी, जो 32 बोर पिस्टल की गोली कथानक में बतायी गयी है। मौके पर से एक खोखा 32 बोर का और एक खोखा 315 बोर का मिला है। अन्य अभियुक्तों पर 315 बोर के कटटे बताये गये हैं। ऐसे में भी प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious libility) के बिन्दु को बल मिलता है।

69. फरियादी शैलेन्द्र शर्मा अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि मौके पर घटना के बाद आरोपीगण गाली गलौच करते हुए रोड तरफ भाग गये थे, उसने पुलिस को फोन किया था, पुलिस मौके पर आयी थी और अवधेश के शव को वह और विपिन उठाकर थाने लाये थे। उसने घटना की प्र.पी.-12 की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर लिखायी थी। पुलिस ने अवधेश के शव को पी०एम० के लिए गोहद अस्पताल भेजा था, उसके बाद पुलिस मौके पर वापिस

उन्हें लेकर गयी थी और कार्यवाही की थी । साक्षी ने प्र.पी.-15 का नक्शामौका पुलिस द्वारा पूछताछ कर बनाना बताया है और ६ टनास्थल से दो खोखा पुलिस ने उसके सामने देखे थे। साक्षी ने ६ टना के समय अपनी उपस्थिति के संबंध में भी स्पष्ट अभिसाक्ष्य देते हुए यह कहा है कि घटना वाले दिन सुबह करीब 11 बजे वे घर से गोहद चौराहा की ओर ट्रैक्टर से गये थे । ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए गये थे और रामसिया मिस्ट्री खितौली वाले के वर्कशॉप पर ट्रैक्टर सुधरवाया था और वापिस ट्रैक्टर से ही वे आये थे, जिसे बनवारी चलाकर लाया था तथा बिरखडी डाक बंगले पर वह अवधेश और विपिन उतर गये थे और बनवारी, धर्मेन्द्र ट्रैक्टर लेकर चले गये थे। पूरी घटना देने की भी उसने स्पष्ट साक्ष्य दी है, मौके की स्थिति भी अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट की है । उक्त साक्षी पर बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में दिये गये सुझावों में इस आधार पर अविश्वास किए जाने का आधार सुझावों के माध्यम से प्रकट किया है कि उक्त साक्षी मृतक का निकट संबंधी होकर भाई है और उसने अपने भाई को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया तथा गोली लगने के बाद भी उसके घाव पर कपड़े आदि को बांधकर रक्त के प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं की । किन्तु इस तरह के सुझाव कोई महत्व नहीं रखते हैं क्योंकि साक्षी ने पैरा-08 में यह स्पष्ट किया है कि पहली गोली लगते ही अवधेश गिर पड़ा था और खत्म हो गया था और आरोपीगण के चले जाने के बाद उसने देखा, उसकी सांस नहीं चल रही थी, उसने अपने और विपिन के बचाव के लिए भागकर छिप जाने और ६ टना देखने की स्पष्ट अभिसाक्ष्य दी है। इस तरह का अभिसाक्ष्य विपिन अ.सा.-09 का भी आया है, उनकी अभिसाक्ष्य में केवल यह विरोधाभास अवश्य प्रकट हुआ है कि शैलेन्द्र अ.सा.-7 ट्रैक्टर सुधरवाने के लिए ले जाने की बात कहता है और विपिन ट्रैक्टर की ट्रॉली बनवाने के लिए जाने की बात कहता है। जोकि कोई तात्विक स्वरूप का विरोधाभास नहीं है, बल्कि धर्मेन्द्र अ.सा.-10 के अभिसाक्ष्य से भी ट्रैक्टर से जाना, बनवारी का चालक होना प्रकट हुआ है। ऐसे में शैलेन्द्र अ.सा.-7 और विपिन अ.सा.-09 घटना के लिए संयोगी साक्षी (चांस बिटनेस) की परिधि के नहीं है और उनपर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है ।

70. अ.सा.-07 ने रामसिया मिस्ट्री के यहां ट्रैक्टर सुधरवाने की बात कही है । अ.सा.-09 ने भी पैरा-07 में ट्रैक्टर सुधरवाने के लिए जाने की बात कही है, उसने मिस्ट्री का नाम अवश्य नहीं बताया, किन्तु यह स्पष्ट किया है कि साथ में उसके बड़े बुजुर्ग अर्थात् शैलेन्द्र और धर्मेन्द्र थे, जिन्हें उसके बारे में जानकारी है, ट्रैक्टर सुधरवाने में वह 04 घण्टे का समय लगना भी बताता है। इससे दोनों साक्षियों के मूल घटना बाबत अभिसाक्ष्य में समरूपता झलकती है। उनके अभिसाक्ष्य में यह भी प्रकट हुआ है कि उन्होंने सहायता के लिए आसपास के लोगों को पुकारा था लेकिन कोई नहीं आया । जैसा कि

अ.सा.-7 पैरा-06 और 08 में बताता है और अ.सा.-09 पैरा-31 में बताता है। ऐसे में उनके अभिसाक्ष्य में आये विरोधाभास स्वाभाविक स्वरूप के ही माने जायेंगे।

71. शैलेन्द्र अ.सा.-7 और विपिन अ.सा.-09 ने मौके के आसपास दक्षिणी बबूल की झाड़ियां होना भी बताया है किन्तु प्र.पी.-15 के नक्शामौका में झाड़ियां दर्शित नहीं हैं और उसके संबंध में ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 से झाड़ियों बाबत स्पष्टतः स्पष्टीकरण नहीं लिया है, किन्तु झाड़ियों का उल्लेख यदि नक्शामौका प्र.पी.-15 में नहीं किया है तो यह विवेचक की कमी के रूप में ही देखा जायेगा और विवेचक द्वारा अनुसंधान के दौरान यदि कोई कमी छोड़ी जाती है या लोप किया जाता है तो उसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसा कि न्याय दृ० ए० प्रदीपन विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2006) वोल्जूम-12 एस०सी०सी० पेज-643 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर संपूर्ण मामला निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिये घटनास्थल के आसपास झाड़ियों की विद्यमानता के संबंध में प्र.पी.-15 और अ.सा.-07 और अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य के विरोधाभास को अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता है और यह इसलिये भी कोई विशेष महत्व नहीं रखता है क्योंकि आरोपीगण के विरुद्ध नामजद घटना के तुरंत बाद एफ आई आर दर्ज करायी गयी है और उनकी पहचान का बिन्दु उत्पन्न नहीं है, क्योंकि स्वयं आरोपीगण की ओर से लिये गये बचाव में भी रंजिश का बिन्दु उठाया गया है।

72. शैलेन्द्र अ.सा.-7 ने घटना की समयावधि और मौके की कार्यवाही के संबंध में जो साक्ष्य दी है, उसमें भी बचाव पक्ष का अधिक बल है कि पहले एफ आई आर लिखी गयी या लाश का पंचनामा बना और मौके की कार्यवाही हुई। इस बारे में विरोधाभासी साक्ष्य है और इस आधार पर घटना को संदिग्ध ठहराया जाये। इस संबंध में साक्ष्य पर विचार किया जाये तो शैलेन्द्र अ.सा.-07 ने पैरा-05 में कथित घटना में करीब 15 मिनट का समय लगना बताया है तथा घटनास्थल के पास जहां वह छिपा था, वह स्थान घटनास्थल से 150-200 गज की दूरी पर ही बताया है, जहां से उसने पुलिस को मोबाइल से सूचना देना बताया है, उसके मुताबिक घटना दोपहर 02:45 बजे की है, जैसा कि अभियोजन का कथानक भी है और 05 मिनट बाद उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के 10-20 मिनट बाद पुलिस मौके पर आयी और 10-12 मिनट मौके पर रुकी। अवधेश की लाश को पुलिस ने गाडी में रखा, लिखापट्टी की। दस-बाहर मिनट गोहद चौरहा थाने पर पहुंचने में लगा। वह पैरा-7 में यह भी कहता है कि अवधेश को गोली लगने के 3-4 मिनट बाद ही वह उसकी लाश के पास पहुंच गया था और जब हमला हुआ था, तब वह अवधेश से 5-6 कदम की दूरी पर ही था।

जिस चबूतरा की ओट में वह और विपिन छिपे थे, वहां 02-03 मिनट ही बैठे थे और वहां से दिखायी दे रहा था। झाड़ियां घटनी नहीं थी। थाने पर 15-20 मिनट रुकना भी उसने बताया है। फिर दोबारा मौके पर पुलिस के साथ 04:00, 04:30 बजे दिन में आना बताया है। पैरा-08 में ही उसने यह भी स्पष्ट किया है किज ब दोबारा पुलिस मौके पर आयी थी, उस समय अवधेश का शव मौके पर नहीं था। अस्पताल में था। प्र.पी.-12 की एफ आई आर में मौके पर लाश पड़ी होना लिखाया गया है, जबकि साक्षी के मुताबिक पहली बार जब पुलिस मौके पर आयी तभी लाश को उठाकर कुछ लिखापट्टी करके ले जाया गया था। प्र.पी.-12 की एफ आई आर दोपहर 03:15 बजे बजे लेखबद्ध की गयी, उसी समय प्र.पी.-02 की मार्ग सूचना पंजीबद्ध की गयी थी। लाश पंचनामा सफीना फॉर्म प्र.पी.-13 और 14 की कार्यवाही का समय उसके बाद का है, क्योंकि प्र.पी.-14 के लाश पंचायतनामा में शाम 04:05 बजे अंकित है। इस बारे में समय को लेकर विरोधाभास अ.सा.-7 और अ.सा.-09 तथा अ.सा.-21 के अभिसाक्ष्य में अवश्य आया है, किन्तु वे भी इस प्रकृति के नहीं हैं, जिससे अभियोजन की पूरी घटना आरोपीगण के विरुद्ध संदिग्ध ठहरायी जा सके, क्योंकि किए गये विश्लेषण में अवधेश की मृत्यु गोली लगने से मौके पर ही हुई है। ऐसे में इस संबंध में आये विरोधाभासों को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अ.सा.-7 और अ.सा.-9 की अभिसाक्ष्य मृतक से निकट संबंधी होकर हितबद्ध साक्षी होने के आधार पर अविश्वसनीय माने जाने योग्य या त्यागे जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में न्याय दृ० अब्दुल सैयद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2010 भाग-10 एस.सी.सी. पेज-259 एवं जित्ते विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006 भाग-4 एम.पी.एच. टी. पेज-45 अवलोकनीय है। जिनमें मृतक के निकट संबंधी अर्थात् भाई होने के आधार पर उसकी साक्ष्य को अनदेखा न किए जाने और संयोगी साक्षी न माने जाने पर बल दिया गया है। हस्तगत मामले में भी शैलेन्द्रसिंह और विपिन मृतक अवधेश के साथ उनकी साक्ष्य मुताबिक सुबह 11 बजे से लेकर घटना होने तक साथ में ही थे, इसलिये उन्हें संयोगी साक्षी नहीं माना जा सकता है और निकट रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर भी उन्हें अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। जैसा कि न्याय दृ० भागलाल लोधी वि० स्टेट ऑफ़ यू.पी. ए.आई.आर. 2011 (एस.सी.) पेज-2292 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऐसे में अ.सा.-7 और अ.सा.-9 की अभिसाक्ष्य मूल घटना के संबंध में विश्वसनीय साक्षी की हो जाती है और उनके अभिसाक्ष्य में जो विरोधाभास और विसंगतियां आयी भी हैं, वे विशेष महत्व नहीं रखती हैं। क्योंकि भारत वर्ष में आपराधिक विधि में यह सूक्ति अपनाई गयी है कि एक बात में मिथ्या तो सब बातों में मिथ्या का सिद्धांत भारत में लागू नहीं है। ऐसे में जिन बिन्दुओं पर विरोधाभास आये हैं, जैसा कि अ.सा.-7 और अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य में प्र.पी.-2 की मार्ग सूचना प्र.



पी.-12 की एफ आई आर, प्र.पी.-15 का नक्शामौका और उनके पुलिस कथन प्र.डी.-1 और डी.-2 के विरोधाभास उनकी साक्ष्य त्यागे जाने के लिए पर्याप्त व सुदृढ़ नहीं है। जैसा कि न्याय दृष्टांत कालीगुरम पदमाराय विरुद्ध स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश ए.आई.आर.-2007 एस.सी.-पेज-1299 में अवधारित किया है।

73. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से रंजिश का बिन्दु प्रबलता से उठाया गया है। शैलेन्द्र अ.सा.-7, विपिन अ.सा.-09 के अभिसाक्ष्य में उनके परिवार की अन्य लोगों से रंजिश होने के संबंध में सुझाव दिये गये हैं। दीवानी और फौजदारी प्रकरण की मुकदमेबाजी भी लंबे समय से चली आना बतायी गयी है। साक्षियों के कथनों में इस बात की स्वीकारोक्ति अवश्य है कि आरोपीगण से उनकी जमीन संबंधी और पार्टीबंदी संबंधी बुराई चल रही है। जमीन करीब 25 साल पहले खरीदी जाना बताया है तथा मुन्नालाल माहौर, दुर्गाप्रसाद उर्फ डी.पी. शर्मा, दिलदार खां नट आदि से भी रंजिश बतायी गयी है और रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। किन्तु रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार की तरह होता है जो दोनों तरफ से बार करती है अर्थात् जहां एक और रंजिशन झूठा फंसाये जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि रंजिश के कारण ही घटना कारित की जाये जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रूली एवं अन्य वि० हरियाणा राज्य 2002 एस०सी०सी० (किमनल) पेज 1837 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसलिये इस आधार पर किसी भी साक्षी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है किन्तु सावधानी के नियम का पालन करना अवश्य अपेक्षित हो जाता है।

74. आरोपीगण की ओर से भी रंजिश बतायी है। यदि फरियादी पक्ष की जितने लोगों से रंजिश बतायी गयी है, उनमें से यदि कोई वास्तविक घटना करने वाले होते तो फिर उनके विरुद्ध फरियादी पक्ष कार्यवाही कराते, जबकि घटना के तत्काल पश्चात बिना बिलंब के आरोपीगण के नाम सहित अन्य दो अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट की गयी। रिपोर्ट करने में कोई पूर्व की सूची समझी साजिश का बिन्दु प्रकट नहीं है और यदि आरोपीगण के विरुद्ध रंजिशन रिपोर्ट की जाती तो फिर आरोपीगण के परिवार के अन्य सदस्यों के भी नाम लिखाये जाते जबकि ऐसा नहीं है और साक्ष्य में यहां तक आया है कि गिरीश और अनिल 08 भाई हैं, कल्लू उर्फ मधुसूदन उनका भतीजा है और भी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अन्य किसी के नाम नहीं लिखाये गये, इसलिये यह बिन्दु स्वतः ही समाप्त हो जाता है कि आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की चल रही रंजिश के फलस्वरूप उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इसलिये बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृ० ए.आई.आर. 1981 सु०को० पेज-1230 सेवी विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडु में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू किए जाने योग्य नहीं है। न्याय दृ० के मामले में मूल एफ आई आर को छिपाने हुए नवीन

एफ आई आर पेश की गयी थी और न्यायालय के आदेश के बाद भी उसे पेश नहीं किया गया तथा घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों का अभिसाक्ष्य नाटकीय स्वरूप का पाया गया था, जबकि विचाराधीन मामले में ऐसा कतई नहीं है। अ.सा.-7 और अ.सा.-9 के अभिसाक्ष्य नाटकीय स्वरूप के हो, बल्कि मूल बिन्दुओं पर तो वे समरूपता रखते हैं।

75. अन्य प्रस्तुत किए गये न्याय दृ० ए०आई०आर० 1994 सु०को० पेज-549 स्टेट ऑफ पंजाब वि० जीतसिंह जोकि हितबद्ध साक्षी के संबंध में है, वह भी लागू किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि न्याय दृ० के मामले में हितबद्ध साक्षी का कथन एफ आई आर से भिन्नतापूर्ण आया था। घटनास्थल पर उसकी चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थिति निर्धारित नहीं हुई थी। जिसके आधार पर दोषमुक्ति की गयी थी, जबकि विचाराधीन मामले में अ.सा.-07 और अ.सा.-09 की स्थिति चक्षुदर्शी साक्षी की पायी गयी है और स्वाभाविक स्वरूप की उनकी अभिसाक्ष्य है अर्थात् उत्पन्न विरोधाभास और विसंगतियों के तात्त्विक स्वरूप की न होने से तथा उनके द्वारा काल्पनिक विकास अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया है और मेडीकल साक्ष्य से समर्थन माना जा चुका है। इसलिये बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गये न्याय दृ० ए०आई०आर० 2003 जण्डेल सिंह वि० स्टेट ऑफ एम.पी.सु०को० पेज-3991 का भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, जिसमें चक्षुदर्शी साक्षी की मौखिक साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास होने की दशा में घटना का चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन के अभाव में तथा साक्षियों के द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में विरोधाभास करते हुए घटना का विकास किए जाने पर अविश्वास किया गया था। न्याय दृ० के मामले में आरोपी के पिता की तेरहवीं के आयोजन में शाम के समय भोजन भण्डारा के समय की घटना बतायी गयी थी जिसमें मृतक और चक्षुदर्शी साक्षियों को ही आमंत्रित किया जाना बताया था। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वाभाविक माना था और घटना रात करीब 08 बजे की थी। पुलिस रात 10 बजे मौके पर गये थी लेकिन उसने अंधेरे के कारण कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि जीप की लाइट और टॉर्च की लाइट का प्रबंध था इसलिये भी उक्त न्याय दृ० का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

76. प्रकरण में एफ आई आर संदिग्ध माने जाने का बिन्दु भी इस आधार पर भी उठाया गया है कि एफ आई आर की नकल संबंधित मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गयी, जिसके संबंध में एफ आई आर लेखकर्ता ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 के पैरा-15 में सुझाव दिये गये हैं, किन्तु वे सुझाव इसलिये महत्व नहीं रखते हैं क्योंकि एफआईआर की प्रति प्र.डी.-04 के रूप में अभिलेख पर पेश हुई है। प्रकरण में विवेचक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने पहले एफ आई आर लिखी थी, उसके बाद मर्ग कायम किया था और मर्ग

दीवानजी द्वारा लिखा गया था, जांच उसने की थी जिसमें साक्षियों के कथन लिये गये थे, वह शैलेन्द्र और धर्मेन्द्र के कथन भी जांच में लेना बताता है, जिनहें अभियोगपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया। जिसका उसने यह स्पष्टीकरण दिया है कि एफ आई आर पंजीबद्ध की जा चुकी थी। इसलिये मर्ग जांच के कथनों की आवश्यकता नहीं थी, जोकि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एफ आई आर और मर्ग एक साथ एक ही दिन, एक ही क्रम में लेखबद्ध हुए हैं और नामजद रिपोर्ट है, इसलिये इस संबंध में मर्ग जांच के कथनों के प्रस्तुत न होने से अभियोजन के मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

77. आरोपी रामबरन की ओर से अ.सा.-07 और अ.सा.-09 पर की गयी, प्रतिपरीक्षा में इस आशय के सुझाव भी दिये हैं कि मृतक अवधेश घटना के पहले से गुमसुम रहने लगा था, क्योंकि उकसी शादी को 07-08 साल हो गये थे और उसे एक बच्ची पैदा हुई थी तथा घटना के समय अवधेश की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन जिसका अवधेश ने लिंग परीक्षण कराया था और अवधेश दूसरी संतान बच्ची पैदा होने के कारण गर्भपात कराना चाहता था, उसकी पत्नी द्वारा मना कर दिया गया था जिसमें उनका आपस में विवाद हुआ, जिसके कारण वह गुमसुम रहने लगा, इससे विपिन अ.सा.-09 ने पैरा-25 में इंकार किया है और अवधेश का गुमसुम रहने का कारण आरोपीगण द्वारा दी गयी धमकी को बताया है जो घटना के 08-15 दिन पहले दी गयी थी, जो अनिल, गिरीश और कल्लू के द्वारा दी गयी थी, जिसकी लोकेन्द्र ने रिपोर्ट भी की थी। जैसा कि उसके कथन के पैरा-25 में आया है, इस आधार पर अवधेश द्वारा आत्महत्या किए जाने का अप्रत्यक्ष आधार लिया गया है, जोकि कतई स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि नजदीक से अनिल द्वारा पिस्टल से मारी गयी गोली से अवधेश की मृत्यु मौके पर ही होना पायी गयी है।

78. बचाव पक्ष की ओर से अज्ञात लोगों के द्वारा रंजिशन अवधेश की हत्या करने का बचाव का आधार लिया। दूसरी तरफ उसे आत्महत्या स्वरूप की बताया है। दोनों एक साथ संभव नहीं है और शैलेन्द्र अ.सा.-07 को पैरा-29 में दिये गये सुझाव मुताबिक अवधेश की हत्या होना तो माना है किन्तु बचाव पक्ष अवधेश की हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा रंजिशन किए जाने का आधार लेकर आया है क्योंकि अवधेश की अनेक लोगों से रंजिश थी। इससे भी आत्महत्या का आधार खण्डित हो जाता है और अज्ञात लोगों द्वारा अवधेश की हत्या किए जाने को अ0सा0-7 और अ0सा.-9 ने सिरे से नकारा है। उनकी अभिसाक्ष्य साक्ष्य विधान की धारा-134 के परिपेक्ष्य में सुदृढ़ है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी तथ्य विशेष को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है।

79. उपरोक्त साक्षियों पर इस आशय के भी सुझाव दिये गये कि मृतक अवधेश अपराधी प्रवृत्ति का होकर झगडालू स्वभाव का था और उसका अपराधिक रिकॉर्ड था जिसे भी अ.सा.-7 ने पैरा-29 में नकारा है और इस संबंध में ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य के पैरा-24 में बचाव पक्ष के सुझावों को अस्वीकार करते हुए यह कहा है कि थाना गोहद चौराहा पर मृतक अवधेश का कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इससे भी इस बात का खण्डन हो जाता है कि अज्ञात लोगों के द्वारा या अन्य रंजिशी लोगों के द्वारा अवधेश की हत्या की गयी और ऐसी दशा में अ.सा.-7 और अ.सा.-9 का यह साक्ष्य अकाट्य स्वरूप का हो जाता है कि अवधेश को अनिल बिरथरिया द्वारा पिस्टल से मारी गयी पहली गोली लगने से ही उसकी मृत्यु हुई और घटना में शेष आरोपगण रामबरन, कल्लू उर्फ मधुसूदन और गिरीश सक्रियता दिखाते हुए सामान्य आशय के तहत घटना में शामिल थे। यह सही है कि जिस पिस्टल से गोली अनिल द्वारा अवधेश को मारी गयी थी वह पिस्टल बरामद नहीं हुई और उसके संबंध में प्र.पी.-23 का आरोपी अनिल बिरथरिया का मेमोरेण्डम कथन महत्वपूर्ण है, जिसमें उसके द्वारा पिस्टल को नूराबाद के पास सांक नदी में फेंका जाना बताया गया है, जिसके संबंध में मेमोरेण्डम लेख करने वाले टी.आई. गिरीश कवरेती अ.सा.-13 ने अपनी अभिसाक्ष्य दी है, जिसके द्वारा ही प्रदर्श पी.-22 मुताबिक अनिल की गिरफ्तारी की गयी थी, जिसका समर्थन आरक्षक उमेश शर्मा अ.सा.-20 के द्वारा गिरफ्तारी बाबत किया गया और मेमोरेण्डम बाबत आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-5 और प्र.आर. राजेन्द्रसिंह अ.सा.-18 के द्वारा भी किया गया था। हालांकि अ.सा.-13 ने बताये गये स्थान नूराबाद के पास सांक नदी की तलाशी करना भी बताया है, जिसमें पिस्टल बरामद नहीं हो सकी। हालांकि उसके द्वारा तलाशी पंचनामा नहीं बनाया गया, किन्तु नदी में से पिस्टल मिलने की संभावना कम ही थी। ऐसी उपधारणा की जा सकती है इसलिये पिस्टल के बरामद न हो पाने से कोई अन्यथा निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि प्र.पी.-20 मुताबिक मौके से जब्त खोखे में से एक खोख 32 बोर का पिस्टल का था।

80. अन्य आरोपीगण गिरीश, रामबरन और कल्लू से अनुसंधान के दौरान उनके गिरफ्तार किए जाने, पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिये जाने के आधार पर 315 बोर के कटटे कारतूस की बरामदगी करना बताया है। जिन्हें साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, किन्तु उनके संबंध में विवेचक सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 का पैरा-17 अवलोकनीय है जिसमें उसके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि मृतक अवधेश को अनिल बिरथरिया द्वारा पिस्टल से जो गोली मारी गयी थी, जिसका उल्लेख एफआईआर में किया है। वह जब्त नहीं हुई। जो कटटा उकसे द्वारा जब्त किए गये उससे गोली नहीं लगी थी और मृतक को एक ही गोली निर्विवादित रूप से लगी है, ऐसे में अन्य आरोपीगण से



जब बताया गया कटटे कारतूसों का साक्ष्य के दौरान आर्टिकल के रूप में पेश न किए जाने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। इसलिये विवेचक के पैरा-21 के आधार पर कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, जिसमें इस बात की स्वीकारोक्ति है कि जब वस्तुओं में आर्टिकल इसलिये लगाया जाता है ताकि उसमें कोई बदलाव न हो सके।

81. बचाव पक्ष की ओर से मृतक अवधेश की हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा किए जाने के बिन्दु को इस आधार पर भी उठाया गया है कि घटना के बाद गांववालों के द्वारा जाम लगाया गया था क्योंकि अवधेश की हत्या करने वालों का उस समय कोई पता नहीं था, जिसका अ.सा.-07 ने इंकार किया है। अ.सा.-09 ने भी इस बारे में पैरा-24 मुताबिक अनभिज्ञता प्रकट की है और विवेचक ए.एस. आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है और यह कहा है कि जब वह मौके पर पहुंचा था, तब उसे वहां पर जनता द्वारा कोई चक्का जाम नहीं मिला तथा चक्का जाम का बिन्दु केवल अ.सा.-10 रविन्द्र के पैरा-03 में ही आया है, जो पक्ष विरोधी साक्षी है और बचाव पक्ष के सुझावों पर आया है, इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वह मौके पर पैरा-02 मुताबिक दोपहर 03:30 बजे पहुंचा था, जबकि एफआईआर उसके पहले ही 03:15 बजे लेखबद्ध हो चुकी थी, इसलिये उसका कोई महत्व नहीं है।

82. इस तरह से चरणबद्ध तरीके से किए गये उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन युक्ति युक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल है कि उक्त घटना में आरोपी अनिल बिरथरिया के द्वारा पिस्टल से अवधेश को सामने से छाती में गोली मारकर उसकी शाशय हत्या की जिसमें सहअभियुक्तगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, रामबरन शर्मा और गिरीश कुमार सामान्य आशय के अग्रसरण में सहयोगी के रूप में रहे। फलतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक-04 और 05 को प्रमाणित मानते हुए आरोपी अनिल बिरथरिया को धारा-302 भा.द.वि.के अपराध के लिए एवं शेष आरोपीगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, रामबरन शर्मा और गिरीश को धारा-302/34 भा.द.वि.के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी अनिल पर लगा आरोप धारा-302/34 भा.द.वि. उसी में समाविष्ट हो जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-06 व 07 का निराकरण

83. उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।



84. इस संबंध में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर पेश की गयी है जिसमें आरोपी गिरीश को प्र.पी.-01 के द्वारा गिरफ्तारी किए जाना ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 द्वारा किया जाना बताया है। जिसका समर्थन अनिल भारद्वाज अ.सा.-1 और अ.सा.-17 अजय भदौरिया ने पक्ष विरोधी घोषित होते हुए नहीं किया है, किन्तु गिरफ्तारी विवेचक के अभिसाक्ष्य से ही प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है और गिरफ्तारी पश्चात आरोपी गिरीश का प्र.पी.-6 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन भी उक्त चिकित्सक द्वारा लिया जाना बताया है, जिसका समर्थन आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-05 एवं आरक्षक जितेन्द्र अ.सा.-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है तथा उसकी दी गयी जानकारी के आधार पर आरोपी गिरीश से प्र.पी.-8 मुताबिक 315 बोर के कटटा कारतूस की जब्ती उसके ग्वालियर स्थित मकान से उसके पेश करने पर की जाना ए.एस.आई. ए.एस. तोमर अ.सा.-22 ने करना बताया है। जिसका समर्थन आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-5 एवं आरक्षक जितेन्द्र अ.सा.-14 ने किया है। अ.सा.-21 ने यह स्वीकार किया है कि जब गिरीश को गिरफ्तार किया गया था उस समय उसके पास कटटा नहीं था।

85. आरोपी कल्लू उर्फ महुसूदन को प्र.पी.-09 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 ने दिनांक-11/06/2013 को किया जाना बताया है, जिसकी गिरफ्तारी न्यायालय में औपचारिक स्वरूप की, की गयी है, जिसमें उसका पता गोले के मंदिर, ग्वालियर का उसके बताये अनुसार लिखा गया है। जैसा कि विवेचक का भी कहना है। गिरफ्तारी का समर्थन आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-5 और आरक्षक जितेन्द्रसिंह अ.सा.-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है। तत्पश्चात आरोपी कल्लू उर्फ महुसूदन से पूछताछ कर प्र.पी.-3 का मेमोरेण्डम कथन अनिल द्वारा उपयोग की गयी पिस्टल की बरामदगी बाबत लेना भी बताया है। जिसका समर्थन प्र.आर. गोपसिंह अ.सा.-2 और आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-05 ने अपने अभिसाक्ष्य में भी किया। प्र.पी.-25 का भी उसके द्वारा मेमोरेण्डम कथन देते हुए घटना के समय लिये कटटा कारतूस को गिरीश के यहां छिपाकर रखने बाबत दिया गया था, तथा उसके आधार पर आरोपी कल्लू से प्र.पी.-18 मुताबिक 315 बोर का कटटा, एक मिस कारतूस सहित बरामद किया जाना बताया है। जिसका समर्थन आरक्षक मनोज अ.सा.-11 एवं जितेन्द्रसिंह अ.सा.-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिया है।

86. आरोपी रामबरन को प्र.पी.-10 मुताबिक दिनांक-16/03/2013 को अर्जुन कॉलोनी गोहद से गिरफ्तार किया जाना ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21 ने कहा है, जिसका समर्थन आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-05 ने किया है। आशीष गुर्जर अ.

सा.-16 ने पक्षविरोधी होते हुए इंकार किया है। गिरफ्तारी विवादित नहीं है। गिरफ्तारी पश्चात आरोपी रामबरन से की गयी पूछताछ का मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.-5 लेना विवेचक ने बताया है, जिसका समर्थन आरक्षक रजनीश शर्मा अ.सा.-04 एवं प्र.आर. उरदयाल अ.सा.-19 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है, जिसके आधार पर आरोपी रामबरन से प्र.पी.-7 के जब्ती पत्रक मुताबिक 315 बोर का कटटा व एक खोखा उसके द्वारा अर्जुन कॉलौनी गोहद में अपने मकान से पेश करने पर जब्त करना बताया है। जिसका समर्थन आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-05 ने किया है, आशीष गुर्जर अ.सा.-16 ने पक्ष विरोधी होते हुए नहीं किया है।

87. आरोपी अनिल उर्फ भूरा बिस्थरिया को प्र.पी.-22 मुताबिक न्यायालय से औपचारिक रूप से अन्य मामले से गिरफ्तारी दिनांक-29/10/2014 को की जाना बतायी है, जिसके संबंध में टी.आई. गिरीश कवरेती अ.सा.-13 एवं आरक्षक उमेश अ.सा.-20 ने अभिसाक्ष्य दी है। तत्पश्चात आरोपी अनिल का प्र.पी.-23 का धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन अ.सा.-13 द्वारा लिया जाना बताया है, जिसमें उसने पिस्तौल सांक नदी में फेंक देने की जानकारी दी थी, जिसका समर्थन आरक्षक उदयसिंह अ.सा.-5 और प्र.आर. राजेन्द्रसिंह अ.सा.-18 ने भी करना बताया है।

88. उक्त तीनों आरोपीगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन से जो कटटे कारतूस जब्त बताये गये, उनकी कोई आर्म्स मोहरर से जांच न कराकर न तो रिपोर्ट पेश की गयी है, न उनसे संबंधित कोई साक्षी है। और उन्हें आर्टिकल के रूप में साक्ष्य में पेश भी नहीं किया गया। ऐसे में धारा-25 और 27 आयुध अधिनियम के तहत जो आरोप उनपर विरचित किए गये हैं, उनके संबंध में अभियोजन की ऐसी साक्ष्य नहीं आयी है कि जब्त वस्तुएं उपयोग किए जाने योग्य आग्नेयास्त्र थी, क्योंकि उनके संबंध में ए.एस.आई. सुभाष पाण्डेय अ.सा.-21, गिरीश कवरेती अ.सा.-13 का स्पष्ट अभिसाक्ष्य नहीं आया है। इसलिये न्याय दृ० कालेबाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.-2008 (4) एम.पी.एच.टी पेज-397 में प्रतिपादित सिद्धांत लागू किए जाने योग्य हो जाता है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि जब्त आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने से अभियोजन कथानक आयुध अधिनियम के संबंध में महत्व खो देती है और दोषमुक्ति का आरोपी हकदार हो जाता है।

89. न्यायालय के अभिलेख पर एफ0एस0एल0 रिपोर्ट संलग्न है, जिसे अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित नहीं कराया गया है, किन्तु न्यायालयीन अभिलेख का अंग होने के कारण धारा-293 (i) (iv)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है।

दिनांक-28/3/2014 की एफ0एस0एल0 सागर की जांच रिपोर्ट मृतक अवधेश के बनियान और शर्ट जो शव परीक्षण के समय सील्ड की गयी थी और घटनास्थल की खून आलूदा और सादा मिटटी को जांच हेतु भेजा गया था। रिपोर्ट न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला बी0आई/511/2014 के अवलोकन से शर्ट और बनियान पर मानव रक्त के धब्बे पाये गये हैं तथा खून आलूदा मिटटी के धब्बे विघटित पाये गये हैं। रिपोर्ट क्र0-बी0ए0-184/2013 मुताबिक घटनास्थल से जो कारतूस के खोखे बरामद किए गये थे, उनके संबंध में इस आशय की रिपोर्ट दी गयी है कि एक खोखा 315 बोर का 08 एम.एम. का था तथा एक खोख 7.65 एम.एम. का सेमीरिक्ड कारतूस का था, जो देशी पिस्तौल से चलाने योग्य थे।

90. एफ0एस.एल. सागर की बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट 528/2013 जो दिनांक-31/05/2014 को तैयार की गयी, जिसमें 315 बोर के दो देशी कटटे और एक कारतूस जिसमें से एक जीवित था, एक मिस था उनके संबंध में इस आशय की रिपोर्ट दी है कि दोनों कारतूस और जो कटटे जांच हेतु आये, वे चालू हालत में थे जिनके बैरल में फायर किए जाने के अवशेष मौजूद थे जिनसे प्राण घातक चोटें पहुंचायी जा सकती थी और एक कारतूस जीवित था। एक कारतूस को मिस पाया था, जिन्हें भेजे गये कटटे से चलाया जा सकता था जिसके आधार पर यह तो माना जा सकता है कि 315 बोर के कटटे कारतूस जो जब्त किए गये, वे आग्नेयास्त्र की श्रेणी में आते हैं, किन्तु दो कटटे और दो कारतूस भेजे गये जबकि जब्त तीन कटटे 315 बोर के बताये गये तथा उनका अंतिम बार कब उपयोग हुआ, इस बारे में एफ एस.एल. रिपोर्ट में कोई वैधानिक निश्चितता नहीं बतायी गयी है। इसलिये कटटे आखिरी बार कब चले थे ? इस बारे में साक्षियों का अभाव है और आरोपीगण कल्लू, रामबरन, गिरीश से जो कटटे कारतूस जब्त किए गये थे, वे घटना दिनांक को जब्त नहीं हुए, बल्कि उसके बाद जब्त बताये गये हैं, इसलिये जब्त बताये गये कटटा कारतूस घटना के शाम या घटना के पूर्व या घटना के कितने समय बाद अंतिम बार चले थे, ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता है। इससे भी धारा 25 (1-बी)(ए) एवं 27 आयुध अधिनियम का अपराध संदिग्ध हो जाता है।

91. प्रस्तुत किए गये न्याय दृ0 ए.आई.आर. 2003 सु.क्रो. पेज-4076 सलीम अख्तर वि0 स्टेट ऑफ यू.पी. जोकि आयुध अधिनियम की धारा-27 पर आधारित है जिसमें टाडा एक्ट का भी अपराध बताया गया था और उसमें भी स्थानीय साक्षी नहीं बनाया गया था जो पिस्तौल जब्त बतायी गयी है उसको मौके पर सील्ड नहीं किया गया है, इस आधार पर अपराध को संदिग्ध माना था। विचाराधीन मामले में भी हथियार मौके पर सील्ड करने का तथ्य नहीं आया है।

92. ऐसी स्थिति में अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.-16 के संबंध में आर्म्स क्लर्क योगेन्द्र कुशवाह अ.सा.-8 का अभिसाक्ष्य औपचारिक स्वरूप का हो जाता है, क्योंकि यदि अभियोजन स्वीकृति विधि संबत मान भी ली जाये तब भी एफ एस एल रिपोर्ट मुताबिक कट्टों से आखिरी बार कब गोली चली इसकी वैधानिक साक्ष्य नहीं आयी है, ऐसी स्थिति में जबकि धारा-307/34 भा.द.वि. का आरोप भी संदिग्ध माना गया है। ऐसे में आरोपी रामबरन, गिरीश और कल्लू उर्फ मदुसूदन के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25 (1-बी)(ए) एवं 27 के आरोप भी संदिग्ध हो जाते हैं और उन्हें प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तथा उक्त आरोप के संबंध में आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के पात्र हो जाते हैं। फलतः आरोपीगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25 (1-बी)(ए) एवं 27 से दोषमुक्त किया जाता है।

93. आरोपी अनिल बिरथरिया को धारा-302 भा.द.वि. और शेष आरोपीगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन को धारा-302/34 भा.द.वि. के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है इसलिये दण्डाज्ञा के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है। क्योंकि प्रकरण में अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की कोई परिस्थिति नहीं है।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

—::—दण्डाज्ञा —::—

94. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष दोनों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर चिन्तन, मनन किया गया। ए.जी.पी. का तर्क है कि आरोपीगण अनिल, कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन को कड़ा दण्ड दिया जावे, जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण गृहस्थ व्यक्ति हैं, आरोपी कल्लू उर्फ मदुसूदन प्राइवेट नौकरी करके ग्वालियर में अपने परिवार का भरण पोषण करता है एवं आरोपीगण गिरीश एवं रामबरन अशिक्षित व्यक्ति हैं और उनपर अपने अपने परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व है तथा वे अभियोजन का नियमित उपस्थित रहकर सामना करते रहे हैं। प्रथम अपराधी हैं और उनके प्रति उदारता का रुख अपनाया जावे, क्योंकि वे न्यायिक निरोध में भी रह चुके हैं।

95. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दण्डाज्ञा पर किए गये तर्कों पर चिन्तन मनन कर विचार किया गया। दोषसिद्ध अपराध की घटना में आरोपीगण आरोपीगण अनिल, कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन के द्वारा अकारण घटना को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु कारित की है। मामला विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, किन्तु आरोपीगण का मामला अपवाद न होने से उनके प्रति है, उदारता का रुख नहीं अपनाया जा सकता है, क्योंकि दण्डाज्ञा के बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है कि अपराध की प्रकृति के आधार पर यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि समाज में उसका उचित संदेश जाये और अपराध करने वालों का मनोबल टूटे। ताकि समाज सुरक्षित रह सके तथा विधि की समाज में पृतिष्ठा कायम हो सके। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **यूनियन ऑफ इण्डिया विरुद्ध कुलदीप सिंह 2004 वॉल्यूम-11 एस.सी.सी. पेज-590 एवं स्टेट ऑफ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03 जे.एल.जे. (एस.सी.) पेज-277** अवलोकनीय है।
96. फलतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आरोपी अनिल को धारा-302 भा.द.वि.के अपराध के लिए **आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं शेष आरोपीगण कल्लू उर्फ मदुसूदन, गिरीश एवं रामबरन को दोषसिद्ध अपराध धारा-302/34 भा.द.वि. के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से** मानते हुए दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नहीं किए जाने की दशा में कमशः एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा प्रथक से भुगतायी जावे।
97. आरोपीगण का सजा वारण्ट बनाया जावे एवं धारा-428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपीगण द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो।
98. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
99. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मृतक के कपडे एवं खून आलूदा सादा मिट्टी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किए जावें। एवं जब्तशुदा कटटे कारतूस विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय का आदेश मान्य होगा।
100. आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि में से बतौर प्रतिकर धारा-357 द.प्र.सं. के अंतर्गत मृतक अवधेश के विधिक वारिसान उसकी पत्नी को **पच्चीस हजार रुपये** अपील अवधि उपरांत विधिवत प्रदान किये जावें।



101. निर्णय की प्रति आरोपीगण को निशुल्क प्रदान की जावे
102. निर्णय की एक प्रति डी.एम. भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 23 सितंबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड